| व पता | रसीद सं• | बुकिंग करवाने की तिथि | जिन दिनों के लिए बुकिंग करवाई गई | कुल प्राप्त की गई राशि | जितनी छूट प्रदान की गई | जितनी छूट प्रदान की जानी | कम वसूल की गई की राशि | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ..आर•ठाकुर ..नी नाटेज फैक्ट्री ..जिला। | 75867 | 11•9•97 | 26•11•97 | 3350 | 500 | — | 500 | वी•आर•ठाकुर जी [illegible] कुल प्रावधान में छूट प्रदान करने के वर्ग के अन्तर्गत नहीं आता है। |
| ..ना कला ..ला | 75866 | 11•9•97 | 15•8•97 | 1200 | 3750 | 750 | 3000 | [illegible] जी [illegible] कुल प्रावधान में छूट प्रदान करने के लिए के अन्तर्गत [illegible] आता है। |
| ..सेन्ट वेलीयर ..तिफिक ..जिला। | 76034 | 30•3•98 | 25•4•98 | 1000 | 1500 | 375 | 1125 | प्रेजीडेन्ट वेलीयर [illegible] भी कुल प्रावधान के वर्ग के धारा 152 छूट की [illegible] थी। |

कुल राशि 4625•00

रैस्ट हाउस की आय की जांच करने पर पाया गया कि श्री एल• शिमोगटे द्वारा निदेशक टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग 26•3•98 को सायं 4•00 बजे से 27•3•98 सायं 7•30 बजे तक रैस्ट हाउस में ठहराव किया और इस प्रकार इनके दो दिनों का ठहराव बनता था परन्तु इनसे एक दिन के ठहराव के ही पैसे वसूल किए गए। अतः एक दिन की कम वसूली 1x100= 100•00 रुपये की गई है। जो दोषी व्यक्ति से वसूल करके रैस्ट हाउस की आय में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

22(35) निर्माण कार्य बिलों की जांच करने पर पाया गया कि मण्डल द्वारा निर्माण कार्यों को पूर्व निर्धारित समय अवधि में पूर्ण न करवे अत्यन्त विलम्ब निर्माण कार्यों के निष्पादन में किया जा रहा है तथा संविदाकारों के विरुद्ध निर्माण कार्यों को समय पर पूर्ण न किए जाने हेतु नियमानुसार कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। इतना अधिक विलम्ब के पश्चात भी किए गए कार्य की प्रतिशतता कहीं कम है तथा कई प्रकरणों में अधिक कार्य करवाए जाने पर भी अन्तिम बिल तैयार न करके और अधिक कार्य करवा कर गलत बिलों का भुगतान ही किया जा रहा है, जिनका विवरण निम्न वर्णित है। निर्माण कार्यों को समय पर पूर्ण न किए जाने तथा अत्याधिक विलम्ब के पश्चात भी किए गए कार्य की प्रतिशतता कम पाए जाने व पूर्व अनुमानों से काफी अधिक कार्य मात्रा किए जाने पर भी गलत बिलों का भुगतान किए जाने से सम्बन्धित प्रकरण वित्तायुक्त एवं सचिव(शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार के ध्यान में आवश्यक उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [illegible] | 11 वर्ष 1995 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] |
| 2 | ऐ.जी. हॉस्पिटल कार्पोरेशन | | | | | | | |
| | गोरखपुर इलेक्ट्रा-3 ईरीगेशन टाईप आफ फ्लेट 23 न. की टाईप 24 न. लेटाईप 8 न. की टाईप फ्लैट 4 न. टाईप फ्लेट जाब न.5 | 21 वर्ष 1996-97 | 45,233,450 | 64,865,180 | 11-11-96 | 10-5-97 (6 माह) | 16 माह | 131.71% |
| 3 | कम्यूनिटी हाल के प्रथम मंजिल में हालनट का निर्माण कार्य | 8 वर्ष 1997-98 | 74,414-00 | 1,27,778-10 | 30-6-97 | 29-7-97 (एक माह) | 8 माह | 171.71% |
| 4 | ऐ.जी. कैमिकल कम्प लैक्स बिलो ओ.टी. एस. फेस-1 के जाब न.6 का शेष कार्य | 23 वर्ष 1996-97 | 38,214-00 | 42,682-0 | 3-12-96 | 2-1-97 (एक माह) | 15 माह | 111.69% |
| 5 | तृतीय व चतुर्थ इकाई: वित योजना फेस-1 - रिटेनिंग वर्क आफ नोट | 1 वर्ष 1996-97 | 90,867-00 | 102,681-00 | 16-4-96 | 15-7-96 (तीन माह) | 20 माह | 113.10% |
| 6 | फ्लोप्पी - जाब न.6 रिटेनिंग वर्क आफ ब्लाकों न.14 व 15 | 20 वर्ष 1995-96 | 113,762-00 | 181,220-00 | 29-9-95 | 28-10-95 (एक माह) | 29 माह | 159.29% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | [illegible] | [illegible] | 41,?,55?-00 | 3,??,???-00 | [illegible] | 26-?-98 ([illegible]) | — | 3-3? ([illegible]) |
| 8. | —— 11 —— | 12 वर्ष 1996-97 | 83,38,588-00 | 49,97,6??-00 | 5-10-96 | 5-4-98 (18 माह) | — | 59-33% लक्ष्य तिथि से पाँच दिन पूर्व |
| 9. | आवासीय परीसर फेज-2 आफ एल ई टी सर्विसिंग सड़क का निर्माण | 2 वर्ष 1992-93 | 1,61,51,662-37 | 9893685-00 | 28-10-92 | 27-4-94 (18 माह) | पाँच वर्ष सात माह | 61-10% |
| 10. | आवासीय परीसर फेज-1 ब्लाक नं 14 टाईप फ्लैट 18 नं का बकाया कार्य | 1 वर्ष 95-96 | 1,41,984-00 | 2,51,841-00 | 14-9-95 | 30-10-95 (एक माह) | चार वर्ष दो माह | 181-59% |
| 11. | आवासीय परीसर फेज-2 ब्लाक नं. 41 व 42 टाईप फ्लैट 48 नं आंतरिक वाटर सप्लाई व सैनिटरी इन्सटालेशन व इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि कार्य | 3 वर्ष 1995-96 | 59,10,559-00 | 1,11,70,953-00 | 16-1-96 | 16-10-96 (9 माह) | तीन वर्ष दो माह | 188-98% |

क्र 203

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | हैजी डैंजिमल के फ्लैक्स विलो बी०सी०एल० फेज-2 9 न टाईप की प्लाट व लेवलिंग आफ प्लाट | 26 वर्ष 1996-97 | 16,77,438-00 | 1412580-00 | 22-12-96 | 21-4-97 (4 माह) | 11 माह | % 84.21% |
| 13 | यथोपरि – 8 न० बी फ्लैट 6 न० डी फ्लैट | 38 वर्ष 95-96 | 36,67,890-00 | 6140925-00 | 15-1-96 | 14-10-96 (9 माह) | 17 माह | 167.44% |
| 14 | यथोपरि ब्लाक नं 3 | 1 वर्ष 1993-94 | 1,36,30,022-00 | 18798144-00 | 16-4-93 | 2-10-94 (18 माह) | 42 माह | 137.9% |
| 15. | यथोपरि – प्रोवाईडिंग इन्टरनल वाटर एवं सीवरेज सिस्टम | 30 वर्ष 1996-97 | 390646-00 | 6,68,502-00 | 25-3-97 | 24-6-97 (3 माह) | 9 माह | 171.13 |
| 16. | यथोपरि फेज-1 प्रोवाईडिंग कप बोर्ड शटर व स्टोरेज रैक हाउस | 24 वर्ष 1996-97 | 203847-00 | 302610-00 | 9-12-96 | 8-1-97 (एकमाह) | 15 माह | 148.4 |
| 17. | यथोपरि – प्रोवाईड सोलिंग व पार्किंग | 28 वर्ष 1996-97 | 107738-00 | 194134-00 | 10-3-97 | 9-6-97 (तीन माह) | 10 माह | 180.19% |
| 18 | यथोपरि – फेज-2 ब्लाक नं 1 | 27 वर्ष 1996-97 | 2,64,938-00 | 237016-00 | 18-12-96 | 18-3-97 (तीन माह) | 12 माह | 89.48 |
| 19 | यथोपरि – फेज-2 ब्लाक नं 5 | 9 वर्ष 95-96 | 1,24,328-00 | 101036-00 | 1-6-95 | 31-7-95 दो माह | 32 माह | 81.2 |

'6'. -2014

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | [illegible] जी.एस.-फेज-1 [illegible] [illegible] रोड | 21 वर्ष 1985-86 | 32,76,537-00 | 23,28,856-00 | 1-11-85 | 14-1-86 से [illegible] माह | 27 माह | 72-3[illegible] |
| 21 | [illegible] फेज-2 [illegible] | 10 वर्ष 1985-86 | 1,14,434-00 | 152645- | 6-6-85 | 5-8-85 दो माह | 30 माह | 122-3[illegible]% |
| 22 | [illegible] - [illegible]-2 | 41 वर्ष 85-86 | 26,29,172-00 | 26,64,354-00 | 24-1-86 | 23-7-86 (6 माह) | 20 माह | 101-33% |
| 23. | [illegible] - [illegible]-5 | 14 वर्ष 1985-86 | 3883551-00 | 72,86,088-00 | 5-7-85 | 4-4-86 9 माह | 24 माह | 187-61% |
| 24. | [illegible] फेज-1 [illegible] | 24 वर्ष 85-86 | 14,51,464-00 | 1688024-00 | 22-10-85 | 21-7-86 9 माह | 20 माह | 116-37% |

22) 36) समायोजन वाउचर सं0 1 वर्ष 97-98 राशि 1,76,364.00 रुपये

उपरोक्त वर्णित समायोजन वाउचर द्वारा प्रशासक, नगर विकास प्राधिकरण के पत्र सं0 एच.पी.-एन.वी.पी.-ए.वी.(बी) ए जी-आडिट/92-अ0-2-6614 दिनांक 23.4.98 के सन्दर्भ में जी.आर. सं0 143-ए/91 दिनांक 31.3.91 के अन्तर्गत 20.820 मीट्रिक टन टोर स्टील जिसका मूल्य 1,76,364.00 रु. दर्शाया गया है, [illegible] समायोजन करते हुए [illegible] राशि को स्टाक सस्पेंस लेखा को डेबिट व श्री आई.टी. प्रा. कं0 कान्ट्रेक्टर [illegible] के क्रेडिट किया गया जो कि संलग्नक की टिप्पणियों सहित वर्णित है।

1. मण्डल द्वारा पूर्व में 20.82 मीट्रिक टन 8 एम.एम. सरिया स्टील को जे.ई.स्टोर द्वारा अभिलेख में लेखांकित न किए जाने के परिणामस्वरूप समायोजन वाउचर सं0 20 वर्ष 89-90 द्वारा उनके डेबिट में रु0 1,73,847.00 रुपये की राशि डाली गई थी परन्तु मण्डल द्वारा उपरोक्त पत्र द्वारा [illegible] की [illegible] हेतु 1,76,364.00 रुपये की राशि उनके क्रेडिट में डाली गई है। रु0 2517.00 [illegible] समायोजन [illegible] [illegible] में आवश्यक सुधार करके कृपया [illegible] आगामी [illegible] दिखाई जाए।

2. [illegible] प्रशासक, नगर विकास प्राधिकरण द्वारा पत्र सं0 एच.पी.-एन.वी.पी.-ए.वी.(बी)-ए. जी-आडिट-/92-अ0-2-6614 दिनांक 23.4.98 द्वारा 20.820 मीट्रिक [illegible] वर्ष 89.90 में 20.820 [illegible] द्वारा [illegible] रु0 1,73,847.00 [illegible] रु0 1,73,847.00 [illegible] [illegible]

धारी निकायों का उल्लेख करते हुए निर्धारित रजिस्टर की जाँच ।

22[37] समायोजन वाउचर सं0 2 वर्ष 1997-98 राशि 2,80,453.00 रु0

उपरोक्त समायोजन वाउचर द्वारा सहायक निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के पत्र सं0 [illegible] दिनांक 12.10.93 के अन्तर्गत ऑडिट आपत्ति सं0 33 वर्ष 90-91 की आपत्ति का निस्तारण करते हुए शेष 8 एम.एम. छड़ की स्टील की मात्रा 2.128 को सीमेन्ट/स्टोर लेजर के पृष्ठ 9 [निर्माण खण्ड-I] में दर्ज किये जाने को ध्यान में रखते हुए कुल स्टील की मात्रा 23.337 मीट्रिक टन के मूल्य का समायोजन करते हुए सम्बन्धित निर्माण कार्यों को डेबिट तथा श्री आई.सी. शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता [स्टोर] के खाते में 2,80,453.00 रुपये की राशि क्रेडिट की गई । उक्त समायोजन की जाँच करने पर पाया गया कि निर्माण खण्ड के ऑडिट आपत्ति सं0 33 वर्ष 90-91 के अनुसार श्री [illegible] कुमार को इन्डेन्ट सं0 पी.पी.आर.डि-11/91/74 दिनांक 11/91 द्वारा 8 एम.एम. छड़ की स्टील 7.128 मीट्रिक टन दी गई थी । सहायक निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के उपरोक्त पत्र के अनुसार 8 एम.एम. छड़ की 5.00 टन की मात्रा सम्बन्धित ठेकेदार से वसूली हेतु माप पुस्तिका सं0 107 पृष्ठ 33 पर वसूली हेतु दर्ज की गई थी तथा शेष 2.128 मीट्रिक टन की मात्रा माप पुस्तिका में दर्ज न पाए जाने के कारण श्री आई.सी. शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता स्टोर से वसूली की जानी अपेक्षित थी । परन्तु खण्ड द्वारा उपरोक्त इन्डेन्ट की पूरी मात्रा 7.128 मीट्रिक टन सीमेन्ट/स्टोर लेजर के पृष्ठ 9 [निर्माण खण्ड-I] में दर्ज पाए जाने के ध्यान में रखते हुए श्री आई.सी. शर्मा, [illegible] [illegible] 2,80,453.00 [illegible] 2.128 [illegible]

....

लेजर में उक्त इण्डेंट को संविदाकार द्वारा हस्तांतरित न किए जाने बारे की गई टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए 8 एम.एम. डाया स्टील की मात्रा 2.128 मीट्रिक टन स्टील जिसका मूल्य 23,370.00 रुपये बनता है, का समायोजन उचित नहीं बल्कि अत्यन्त आपत्तिजनक है। मु0 23,370.00 रुपये के गलत/ अनियमित प्रकार से किए गए समायोजन, जिसके परिणामस्वरूप श्री आई.बी.शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता (स्टोर) की वसूली से छूट दी गई है, से सम्बन्धित प्रकरण आवश्यक छानबीन तथा सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली किए जाने हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

22(38) समायोजन वाउचर सं0 8 वर्ष 97-98 राशि 3,20,748.00 रुपये

उपरोक्त समायोजन वाउचर द्वारा एक निर्माण कार्य से दूसरे निर्माण कार्य को हस्तांतरित किए गए सामान का समायोजन मु0 3,20,748.00 रुपये का किया गया। अंकेक्षण की आपत्तियाँ निम्न वर्णित हैं :-

(क) एक निर्माण कार्य से दूसरे निर्माण कार्यों को हस्तांतरित किए गए सामान के किए गए मु0 3,20,748.00 रुपये के समायोजन की जांच करने पर पाया गया कि निर्माण कार्यों को व्यय उक्त माल भण्डार जारी दर से नहीं करके संविदाकार को लागू वसूली दर से किया गया है जो कि अनियमित ही नहीं अत्यन्त आपत्तिजनक है। समस्त समायोजन वाउचर में लगाए गए दरों का पुनः जांच करके आवश्यक समायोजन तदानुसार किया जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर सत्यापित करवाई जाए।

(ख) निम्न विवरणानुसार विभिन्न निर्माण कार्यों के एम.ए. एस. रजिस्टर से सामान जारी किया गया दर्शाया गया परन्तु सम्बन्धित एम.ए.एस. रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत न किये जाने ~~व परन्तु जारी किए गए सामान की प्रविष्टियाँ भी नहीं की गयी। आवश्यक कार्यवाही की जाकर अंकेक्षण पर प्रस्तुत करके अनुपालना का सत्यापन करवाया जाए।~~ ...।.

[illegible] के कारण जारी किए गए सामान [illegible] की जाँच नहीं की जा सकी। [illegible] अतिरिक्त [illegible] पर प्रस्तुत करके अनुपालना में [illegible] करवाया जाए।

| इन्डेन्ट नं० | टी०ई०नं० माह | निर्माणकार्य का नाम | जारी सामान का विवरण |
|---|---|---|---|
| ज०प०एस-97 दि० 6-8-97 | 127 माह 8/97 | [illegible] ऑफिस [illegible] [illegible] संस्थान | 10 [illegible] |
| ज०एस०/97 दि० 12/97 | 144 माह 12/97 | जयपुर — [illegible] | 0-081 मीट्रिक टन [illegible] स्टील [illegible] |
| ए०ओ०-27/98 दि० 7/1/98 | 239 माह 1/98 | जयपुर — [illegible] कालनी | 0-54 मीट्रिक टन [illegible] 0-63 [illegible] |
| ए०ओ० 0-28/98 दि० 7-1-98 | 240 माह 1/98 | जयपुर — जाव न०-4 [illegible] | 0-012 मीट्रिक टन 0-63 [illegible] |
| ए०प०एस० 0/98 माह 2/98 | 193 माह 3/97 | जयपुर — जाव न०-5 [illegible] | 0-[illegible] मीट्रिक [illegible] 75X10 [illegible] 30 [illegible] |
| ओ०पी०-एस०ए०एस/98 दि० 3-7-98 | 242 माह 2/98 | जयपुर — [illegible] | 2-26 [illegible] 2-26 [illegible] |
| [illegible] 0/98 माह 2/98 | [illegible] | जयपुर — [illegible] 2000 | [illegible] |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| एस०-97 दि० 29.1.97 | 139 माह 10/97 | तृतीय व चतुर्थ आंशिक बिल योजना नेहरू — [illegible] प्लाट | 30 कि० [illegible] स्टील [illegible] माल |
| 4/55 माह 11/97 | 142 माह 11/97 | पानी की आंशिक स्वत: बिल योजना नेहरू-2 जोन नं०-1 [illegible] प्लाट नं० बी-407 | 14-16 [illegible] स्टोर |
| एस०एफ०/97-1 माह 10/97 | 140 माह 10/97 | तृतीय व चतुर्थ आंशिक स्वत: बिल योजना जोन नं०-5 | 25 कि० [illegible] 25x25x5 30 कि० [illegible] 20x20x4 |
| एस०/97 माह 6/97 | 141 माह 10/97 | — यथोपरि — | 25 कि० [illegible] 25x25x5 15 कि० [illegible] 20x20x4 |
| 3/6 माह 2/96 | 125 माह 2/97 | — यथोपरि — जोन नं० 4 | 11 बैग सीमेंट |
| 34/97 माह 5/97 | 136 माह 8/97 | — यथोपरि — | 1 [illegible] स्टील |
| एस०/96-43 दि० 22-3-97 | 137 माह 8/97 | — यथोपरि — [illegible] लिमिटेड [illegible] | 10 [illegible] |
| [illegible] माह 6/96 | 132 माह 8/97 | — यथोपरि — फेज-2 [illegible] 48 नं० [illegible] 10 नं० टी - बी | 0.520 मी० [illegible] सी०आई० शीट |

| | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 7/86 | 134 माह 8/97 | तृतीय व चतुर्थ ओलिम्पिक : बिल जोजना जाव नं. 4 | 1043 ब्रीकर | |
| 1-5-97 | 212 माह 6/97 | जोनपाी - जाव नं-5 | 4-95 प्लस मीन ग्रीट | |
| 7/5 दि० 7 6/97 | 126 माह 7/97 | आन साईट सर्विस फेज - 1 रिलेग अपरोड | 26 ड्रम खाली बीतुमैन | |
| -38 दि० 20-1-98 | 149 माह 1/98 | — " — | 4 ड्रम बितुमैन<br>12 किलो इमल्सन<br>2 ला. मी. स्टोन ग्रीट 12 एमएम | |
| .पी.एन.बी.पी./डीएम.- 5/97 दि० 4-9-97 | 221 माह 9/97 | जोनपाी - लेवलिंग आफ प्लाट | 0.130 मीट्रिक टन स्टील | |

(ग) ~~निरन विवरण उक्त लिखित~~

नोर्मों के एम०ए०एस० रजिस्टर में मामला ~~जारी~~ प्राप्त किया गया व जाँच गया परन्तु सम्बन्धित प्राप्त किये गए सामान को एम०ए०एस० रजिस्टर में प्राप्त किये गए सामान की प्रविष्टियाँ नहीं दिखाई गई। एम०ए०एस० रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियों का हवाला पत्र आगामी ओडिटनामा मुख्यालय को आवश्यक जानकारी हेतु सम्बन्धित कार्यवाही ...

ठेकेदार [illegible] का आवश्यक [illegible] का रिकार्ड

| [illegible] | माप पुस्तिका प्रपत्र सं० दिनांक | निर्माण कार्य का नाम | सामग्री का विवरण |
|---|---|---|---|
| [illegible] 43 से 22-3-97 | 137 माह 2/97 | आन साईट एवीलिंग फेज-1 सैट सिगनलिंग आदि रोड | 10 किलोलीटर फायरवुड |
| [illegible] माह [illegible] | 132 माह 8/97 | तृतीय व चतुर्थ आर्थिक रुपां: बिरजोलना फेज-1 जाव नं-6 ब्लाक नं 15 का रोजफार्म | 0-52 मीट्रिक टन टी.ओ.आई. डीजल |
| [illegible] माह 7/96 | 136 माह 8/97 | अधोपरी जाव नं-4 | 1043 बीकर |
| | | अधोपरी जाव नं 5 | 4-25 [illegible] ग्रीट |
| [illegible]/97 से 1-5-97 | 212 माह 6/97 | | |
| -5. दि० 7-6-97 | 126 माह 7/97 | ओबरी कल्वर्ट | 26 क्यूम खाली बिटुमेन |
| -38 दि० 20-1-98 | 149 माह 1/98 | आन साईट एवीलिंग फेज-1 सैटलिंग टारिंग ग्राम रोड | 4 क्यूम बिटुमेन 12 कि.लि. [illegible] 2 [illegible] स्टोन ग्रीट [illegible] |

(नोट) ~~ठेकेदार ए० एन० पी० एन [illegible] — 6/95~~ [illegible] माह 7/96 आरा

~~[illegible] पी० एन जी० पी० [illegible]~~

(4) निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्यों के एम.ए.एस. रजिस्टर से संविदाकारों को सामान जारी किया गया परन्तु न तो सम्बन्धित संविदाकारों से वसूली की गई दर्शाई गई न ही यह सामान संविदाकार की जमावली में आवश्यक वसूली हेतु ही दर्ज किया गया था। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित एम.ए.एफ. रजिस्टर में भी आवश्यक प्रविष्टियाँ दिखाई गई यह तथा तौल भी गत वर्षों से सम्बन्धित था। आवश्यक कार्यवाही संविदाकारों से की गई वसूली सहित आगामी अंकेक्षण पर दिखाया जाय अन्यथा वसूली सम्बन्धित अधिकारी से की जाय।

| एम.ए.एस. सं. व दिनांक | टी.ई.नं. व दिनांक | निर्माण कार्य का नाम | संविदाकार का नाम | सामान का विवरण | मूल्य रु. |
|---|---|---|---|---|---|
| एस.पी. एन.बी.पी. मद-6/95 दि. 7.6.95 | 68 वर्ष 7/95 | कुलाप व बद्ध स्वतः पित योजना फेज-I कन्स्ट्रक्शन आफ सम्प व पाइपिंग | श्री महलाराम | 4.25 घनमीटर रोड़ी | 1500/- |
| एस.पी. एन.बी.पी. /ए.एफ.- एम.ए.एफ./96 दि. 7/96 | 194/T83/97 | —पक्की डिग्गी— जाप नं. 5 राउण्ड वी 20 नं. | श्री अमरसिंह | ईंट-डोर फ्रेम | 960/- |
| | | | | योग:- | 2060.00 |

22(30) <u>वाउचर सं. 71 दिनांक 24.3.98 राशि 13,406.00 रुपये</u>

बिल सं. :- प्रथम व अन्तिम

माप पुस्तिका सं. :- 203 पृष्ठ 96-98

कार्य का नाम :- पक्की खाल स्वतः सिंचाई योजना फेज-2 जाप नं. 3

संविदाकार का नाम :- मै. विजय एन्टरप्राईजेज।

उपरोक्त वर्णित वाउचर द्वारा कार्य आदेश की आईटम सं. 2, प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सी.सी. 1:6:12 के स्थान पर 1.77 घन मी. कार्य हेतु 800.00 रु. प्रति घन मी. की दर से 1416.00 रुपये का भुगतान किया गया। जांच करने पर पाया गया कि ... के अनुसार मात्र 0.31 घन मी. ही बनती थी। ......72.

3.70 की लम्बाई व 3.20 मी. की चौड़ाई में 0.15 मी. ऊँचाई में रोड़ी डाली गई परन्तु की गई दिखाई गई जबकि की गई खुदाई के आधार पर 3.00 मी. लम्बी 0.70 मी. चौड़ी व 0.15 मी. ऊँचाई में सी.सी. 1:6:12 का कार्य करके गणना तदानुसार की जानी चाहिये थी अतः 1.46 घन मी. की अधिक ली गई मात्रा हेतु 800.00 रुपये प्रति घन मी. की दर से 1168.00 रुपये का भुगतान अधिक किया गया है जिसकी वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त वर्क आर्डर सं0 98 वर्ष 1996-97 अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण किए गए भुगतान की जाँच नहीं की जा सकी। वर्क आर्डर आवश्यक जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

22{40} <u>समायोजन वाउचर सं0 20 वर्ष 97-98 राशि 50,031.00 रुपये</u>

उपरोक्त वाउचर द्वारा 3 मीट्रिक टन स्टील जिसका मूल्य 50,031.00 रुपये दर्शाया गया है पांचवी स्वतः वित्त योजना मं-2 खाता नं. 5 को डेबिट तथा कुल 49050 रु. व 981.00 रु. की राशि क्रमशः स्टाक सस्पैंस व स्टाक स्टोरेज को क्रेडिट की गई। उक्त समायोजन एन्ट्री सं0 94/96 दिनांक 25.5.96 व 68/96 दिनांक 2.5.96 के सम्बन्ध में किया गया दर्शाया गया है जो कि पूर्व वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित है। परन्तु अभिलेख से यह पुष्टि नहीं करवाई गई कि यह एन्ट्री पूर्व वर्ष में समायोजित क्यों नहीं कर दिए गए थे तथा यह समायोजन कौन सी अवधि सामग्री के सम्बन्ध में किया गया, का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया। उक्त समायोजन मण्डल-2 द्वारा दुबारा दर्ज किये जाने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। पूर्व में आवश्यक समायोजन न किए जाने बारे आवश्यक पुष्टि अभिलेख से आगामी अंकेक्षण में करवाई जाए अन्यथा गलत प्रकार से किए गए समायोजन बारे पूर्ण विवरण स्पष्ट करते हुए लेखों में आवश्यक सुधार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

22(41) मण्डल द्वारा प्रस्तुत किए गए तलपट अवधि 1997-98 के अवलोकन करने पर पाया गया कि स्टाक सस्पेंस लेखा के क्रेडिट पक्ष में 8,09,639.00 रुपये की दर्शाई गई। अंकेक्षण में स्टाक सस्पेंस लेखा के क्रेडिट पक्ष में पाए जाने वाले मण्डल द्वारा कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। स्टाक लेखा का क्रेडिट पक्ष में होना अत्यन्त आपत्तिजनक है तथा सही स्थिति को परिलक्षित नहीं करता। स्टाक सस्पेंस लेखा में रु0 8,09,639.00 रुपये की राशि क्रेडिट में पाए जाने वाले पूर्ण जांच करके वस्तुस्थिति आगामी अंकेक्षण पर स्पष्ट की जाए।

**डिजाइन मण्डल**

23(1) वाउचर संख्या 5 दिनांक 1.9.97 राशि रु0 5,79,169/= रुपये

संविदाकार : श्री सतीश कुमार गोयल

निर्माण कार्य का नाम : के.डी.सी. शिमला में आवासीय परिसर का निर्माण(ब्लाक नं. 31,35, 38 व 39 का निर्माण कार्य)

अनुबन्ध संख्या: एच.पी.एस.ई.बी.(डी)9 वर्ष 1995-96 माप पुस्तिका नं. :- 199(पृष्ठ 43 से 82 तक)

उपरोक्त निर्माण कार्य श्री सतीश कुमार गोयल, संविदाकार को मुख्य अभियन्ता के पत्र संख्या: एच.पी.एस.ई.बी.(डी) एक्सईएन-7/95-395-401, दिनांक 7.6.95 द्वारा आवंटित किया गया था। इस निर्माण कार्य की अनुमानित लागत 65,34,598/= रुपये मुख्य अभियन्ता के पत्र संख्या: एच.पी.एस.ई.बी.(डब्ल्यू) आवासीय परिसर/95-2394, दिनांक 21.4.95 द्वारा अनुमोदित की थी। और एच.पी.एस.आर. 1987 के रेट के आधार पर अनुमानित लागत 65,75,100.00 रु. बनती थी जबकि पन्द्रहवें चलत बिल तक संविदाकार द्वारा राशि रु0 2,06,45,047.00 रुपये के भुगतान का कार्य निष्पादित किया जा चुका है। संविदाकार के कार्य चलत बिल से लेकर पन्द्रहवें चलत बिल तक का जांच करने पर निम्नलिखित त्रुटियां प्रकाश में आई जिनका निपटारा शीघ्र किया जाए।

अनुपालना से इस विभाग को अवगत किया जाए :-

**(ई) मद सं० 2 के गलत दर निर्धारण से नगर विकास प्राधिकरण को 13,50,584.00 रुपये की हानि बारे :-**

उपरोक्त निर्माण की मद संख्या: 2 (परिशिष्ट पई) जो कि मिट्टी के कटान से सम्बन्धित है की प्राधिकरण द्वारा अनुमानित मात्रा 836.83 घन मीटर आँकी गई थी, और जिसके लिए संविदाकार को 70.00 रुपये प्रति घन मीटर की दर देय थी। पन्द्रहवें चलत बिल तक संविदाकार द्वारा इस मद की 19095.67 घन मीटर मात्रा का कार्य निष्पादित किया गया था, जिसके लिए संविदाकार को प्राधिकरण द्वारा 70.00 रुपये प्रति घन मीटर की दर से 1087.88 घन मीटर की मात्रा का भुगतान किया गया और शेष कार्य मात्रा 18007.79 घन मीटर के लिए प्राधिकरण द्वारा 145.00 रुपये प्रति घन मीटर की दर से भुगतान किया गया। अतः पन्द्रहवें बिल तक मद संख्या 2 के लिए कुल भुगतान 26,87,282.00 रुपये का किया गया। जबकि प्राधिकरण द्वारा इस मद की अनुमानित लागत कुल 58,578.00 रुपये की आँकी गई थी। इस प्रकार अकेली इसी मद में संविदाकार को 26,28,704.00 रुपये का भुगतान अनुमानित लागत से अधिक किया गया। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्राधिकरण द्वारा अनुमानित लागतें निर्धारित करते समय निर्माण कार्य स्थल की स्थिति को ध्यान में नहीं रखा जाता है जिसके लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जानी चाहिए। मिट्टी कटाई की निर्धारित दर 50.67 रुपये बनती है, जिसमें लीड और लिफ्ट तथा ऊपर डालने के खर्चे भी शामिल किया गया है। अतः संविदाकार को इस मद के लिए निर्धारित दर से 19.33 रुपये अधिक का अधिक भाव दिया गया था, जिसके लिए कार्य आवंटित करने से पहले संविदाकार से नेगोशिएशन की जानी चाहिए थी। इसके विपरीत प्राधिकरण द्वारा संविदाकार को निर्धारित मात्रा 30% से अतिरिक्त निष्पादित की गई कार्य मात्रा 18007.79 घनमीटर के लिए 70.00 रुपये प्रति

घन मीटर के स्थान पर 145.00 रुपये प्रति घन मीटर की दर से भुगतान किया जो कि बिल्कुल भी उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि 70.00 रुपये प्रति घन मीटर की दर से पहले की निविदा दर से 19.33 रुपये अधिक थी और अब निविदित मात्रा से अधिक निष्पादित कार्य मात्रा के लिए 145.00 रुपये प्रति घन मी. की दर से भुगतान संविदाकार को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बाजार भाव को आधार मान कर किया गया। स्पष्टतः नगर विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में आंकी गई मात्राओं को बाद में किया गया तथा इस विषय में न ही कोई नक्शे तैयार किए गए अथवा प्रोक्षण में प्रस्तुत किए जिन्हें सक्षम अधिकारी से पूर्व में स्वीकृति प्राप्त की गई हो। सम्भवतः कार्य मात्रा को निविदा से अधिक बढ़ाने का प्रयोजन ठेकेदार को लाभ पहुंचाना ही था। इस सम्पूर्ण प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। जिसके लिए दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए क्योंकि 145.00 रुपये प्रति घन मीटर की दर से भुगतान करने पर प्राधिकरण को कुल राशि 13,50,584.00 रुपये की हानि उठानी पड़ी।

मिट्टी की भराई में 145.00 रुपये घन मीटर की दर से भुगतान सिर्फ मैसर्स [illegible] को ही किया गया है। अन्य किसी भी ठेकेदार को प्राधिकरण के किसी भी कार्य में इस दर से कोई भुगतान नहीं किया गया। जो कि स्पष्टतया लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया प्रतीत होता है। क्योंकि संविदाकार श्री के.एल. [illegible] द्वारा अनुबन्ध संख्या: [illegible] -I वर्ष 96-97 के अन्तर्गत निर्माण कार्य C/o Construction of [illegible] KLC Shivala-I (SH: C/o Block no-32-1)/Const.-I) में संविदाकार द्वारा मिट्टी के खनन की मद सं. 1/1 का कुल 1111.02 घन मीटर कार्य निष्पादित किया था और 70.00 रुपये प्रति घनमीटर की दर से राशि रु. 77771.00 रुपये का भुगतान आठवें व अन्तिम चालू बिल में किया गया। संविदाकार द्वारा यह कार्य दिनांक 16.4.96 को आरम्भ किया था और दिनांक 30.5.97 को खत्म किया था।

अनुबन्ध के अनुसार संविदाकार द्वारा इस मद की 406.11 घन मीटर अनुमानित कार्य मात्रा निष्पादित करनी थी जबकि निर्माण कार्य का क्षेत्र बढ़ जाने के फलस्वरूप संविदाकार को 1111.02घन मीटर कार्य मात्रा निष्पादित करनी पड़ी। जिसके लिए अनुबन्ध अनुसार सिर्फ 70.00रुपये प्रतिघन मीटर की दर से भुगतान किया गया जबकि दूसरी तरफ उपरोक्त निर्माण कार्य में संविदाकार श्री गोयल को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इसी मद का 145.00रुपये की दर से भुगतान किया गया है।

उपलब्ध अभिलेख की जांच से ऐसा प्रतीत होता है कि संविदाकार द्वारा विचलित मात्रा से अधिक कार्यमात्रा निष्पादित करने से पहले प्राधिकरण द्वारा देय दर 70.00रुपये प्रति घन मी० पर कार्य न करने बारे कोई आपत्ति नहीं की प्रतीत होती है और संविदाकार अपनी इच्छा से अधिक कार्यमात्रा को निष्पादित करता रहा, अगर ऐसा न होता तो संविदाकार द्वारा मिट्टी के कटान की विचलित मात्रा से ज्यादा का कार्य बन्द कर दिया गया होता और अधिक निष्पादित कार्य मात्रा का कार्य तभी शुरू करता जब नया भावदर प्राधिकरण द्वारा तय हो जाता या ऐसे कार्य हेतु पुनः निविदाएँ आमन्त्रित की जाती जिस स्थिति में भी यह कार्य अधिकतम 70रु० की दर पर ही निष्पादित किया जाना सम्भावित था। प्राधिकरण द्वारा जो निर्माण कार्य आजकल संविदाकार को आवंटित किए जा रहे हैं। उनमें भी मिट्टी के कटान की भावदर लगभग 70.00 रुपये प्रतिघनमीटर दी जा रही है। अतः 145.00रुपये प्रतिघन मीटर की दर से भुगतान देना उचित प्रतीत नहीं होता जिसकी संविदाकार से कटौती की जाए अन्यथा दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों की जिम्मेवारी तय की जाए ताकि नगर विकास प्राधिकरण को हुई 13,50,584.00रुपये की हानि की वसूली की जा सके।

(ख) परिशिष्ट (प) की मद संख्या 10 जोकि रिटेनिंग/

ब्रेस्ट वाल के पीछे पत्थर की भराई से सम्बन्धित थी । संविदाकार द्वारा 329.36 घन मीटर कार्य मात्रा के लिए 170.00 रु० प्रति घन मीटर की दर से कुल 55991.00 रुपये का भुगतान किया गया, जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा संविदाकार को कोई भी पत्थर जारी नहीं किया बताया गया है, और न ही पत्थर की कोई कटौती संविदाकार से की गई जिससे यह प्रतीत होता है कि संविदाकार को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया, क्योंकि उपरोक्त कार्य में संविदाकार द्वारा मिट्टी की कटाई की कुल 19095.67 घन मीटर कार्य मात्रा निष्पादित की गई थी, और जिसके लिए 70.00 रुपये प्रति घन मीटर की दर से भुगतान किया गया था । उपरोक्त 19095.67 घनमीटर कटाई की कार्य मात्रा से जो पत्थर निकाला गया था उसको एम.ए.एस. रजिस्टर में दर्ज करना चाहिए था और बाद में संविदाकार को स्टोन पिचिंग की मद के लिए जारी किया जाना चाहिए था व जारी किए गए पत्थर की कटौती निश्चित संविदाकार से की जानी चाहिए थी । अतः मिट्टी की कटाई से निकाले गए पत्थर को एम.ए.एस. रजिस्टर में न लेने बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व दोषी कर्मचारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाए ।

(ग) परिशिष्ट (ए) की मद संख्या 1 जो कि एक्सकावेशन फाउन्डेशन, ट्रेन्चिज एण्ड सम्बन्धित है इसकी प्राक्कलन द्वारा अनुमानित मात्रा 4810.0082 घन मीटर आँकी गई थी और जिसके लिए संविदाकार को 43.00 रुपये प्रति घन मीटर की दर से भुगतान देय था । संविदाकार द्वारा पन्द्रहवें चलत बिल तक इस मद की कुल कार्य मात्रा 1936.05 घन मीटर निष्पादित की जो कि उचित प्रतीत नहीं होती, क्योंकि संविदाकार द्वारा मद संख्या: 2 जो मिट्टी के कटान से सम्बन्धित थी की अनुमानित मात्रा 836.83 घन मीटर थी । और पन्द्रहवें चलत बिल तक कुल 19095.67 घन मीटर का कार्य निष्पादित किया गया जबकि मद संख्या 1 की अनुमानित मात्रा से निष्पादित की गई [illegible] मात्रा [illegible] प्रतीत होती है । ....7.

जबकि दोनों मदें एक दूसरे से सम्बन्धित है । ऐसा प्रतीत होता है कि मद संख्या 1 की निष्पादित की गई वास्तविक मात्रा की पैमाईश मद संख्या 2 में दर्ज कर भुगतान किया गया है । और संविदाकार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है क्योंकि मद संख्या 2 के लिए देय भाव दर मद संख्या एक की भाव दर से अधिक है । अतः पूर्ण तथ्यों की जांच करवाई जाए और वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) नगर विकास प्राधिकरण द्वारा 8 एम.एम. स्टील की लम्बाई की पैमाइश को किलोग्राम में परिवर्तित करने के लिए .395 का गुणांक अपनाया गया, जबकि अन्य मोटाई के टोर स्टील की पैमाइश के लिए दो दशमलव के गुणांक लगाये जा रहे हैं जिससे संविदाकार को अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है । अतः यह सुझाव दिया जाता है कि स्टील की लम्बाई को किलोग्राम में परिवर्तित करने के लिए समान रूप से या तो दो दशमलव के परिवर्तित गुणांक लगाए जाएं या फिर सभी मोटाईयों के टोर स्टील को किलोग्राम में परिवर्तित करने के लिए तीन दशमलव के परिवर्तित गुणांक लगाए जाएं क्योंकि सिर्फ 8 एम.एम. स्टील के लिए .395 का परिवर्तित गुणांक लगाकर उपरोक्त निर्माण कार्य में संविदाकार को राशि रु. 3026.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया । पन्द्रहवें चलत बिल तक संविदाकार द्वारा 8 एम.एम. स्टील की 33,906 Rmt . लम्बाई मात्रा निष्पादित की जिसका वजन .395 गुणांक से 13393 किलोग्राम के लिए संविदाकार को 17.30 रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर से भुगतान किया गया, जबकि दो दशमलव का गुणांक .39 लगाकर 8 एम.एम. स्टील का कुल भार 13223 कि.ग्रा. बनता है । अतः 170 कि.ग्रा. का 17.30 रुपये दर से अधिक भुगतान किया गया जिसकी संविदाकार से वसूली की जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए । इसके अतिरिक्त इस निर्माण कार्य पर स्टील के प्रत्येक लाट की जो टेस्ट रिपोर्ट्स प्रतिनिधि प्रयोगशाला ... के लिए ली गई हो उसे सम्बन्धित पत्रावली ... भी

आगामी लेखा-परीक्षा पर प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित करें ।

24. वाउचर संख्या 19 दिनांक 6.9.97 राशि रु 599656/= रुपये

संविदाकार का नाम : श्री कपिन्दर कुमार गुप्ता

निर्माण कार्य का नाम : के.के.जी.रिठाला-9 में व्यावसायिक परिसर का निर्माण (ब्लाक नं. 24 का निर्माण कार्य)

अनुबन्ध संख्या: ए.पी.एन.डी.पी.(डी)6 वर्ष 1996-97

माप पुस्तिका संख्या: 204(डी)

उपरोक्त निर्माण कार्य संविदाकार श्री कपिन्दर कुमार गुप्ता को प्राधिकरण के पत्र संख्या: ए.पी.एन.डी.पी.(डी) एफ3टीटी-7/96-737-63, दिनांक 6.7.96 द्वारा दिया गया । उपरोक्त निर्माण कार्य की टैंडर राशि 75,64,701/= रुपये आंकी गई थी और संविदाकार द्वारा उक्त निर्माण कार्य दिनांक 6.7.96 को शुरू किया गया था । निर्माण कार्य को पूर्ण करने की अवधि मात्र नौ महीने थी परन्तु अभी तक यह कार्य पूर्ण नहीं हो सका है । इसके अतिरिक्त उक्त निर्माण कार्य के पहले चलत बिल से लेकर नौवें चलत बिल तक की जांच करने पर निम्नलिखित त्रुटियां प्रकाश में आईं जिनका निपटारा शीघ्र किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

(क) मद संख्या: -13/33 जी आई प्रोफाईलिंग एण्ड फिक्सिंग स्टील और प्री मेन्युफैक्चर्ड फ्रेम एम.एस. शीट आफ 1.25 एम.एम. (16 जी) एम.एस.चैनल आफ .50x25 एम.एम. थिकनेस आफ 1.25 एम.एम. से सम्बन्धित है । प्रोफाईल्ड प्रोफाईल की अनुमानित मात्रा 110 मीटर आंकी गई थी जबकि संविदाकार द्वारा नौवें चलत बिल तक 624.78 मीटर अधिमात्रा का काम निष्पादित किया गया जिसके लिए संविदाकार को 124 रुपये प्रति मीटर की दर से राशि रु 77473.00 रुपये का भुगतान किया गया । उपरोक्त 624.78 मी. कार्य मात्रा की जांच करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका

संख्या 155 के पेज नं० 42 में दरवाजों की पैमाइश निम्न प्रकार से ली गई थी । सहायक अभियन्ता द्वारा दरवाजा संख्या $डी_2$ व $डी_3$ की पैमाइश को चैक करके हस्ताक्षर किये है ।

$डी_1$ = 3(2x2.10 + 1.35) = 16.65 रनिंगमीटर

$डी_2$ = 88(2x2.10 + 0.90) = 448.80 रनिंग मीटर

$डी_3$ = 5(1x2.10 + 0.80) = 25.00 " "

$डी_4$ = 19(2x2.10 + 0.75) = 94.05 र०मी०

योग :- 584.50 र०मी०

माप पुस्तिका संख्या 206 पेज 28 में उपरोक्त मद की संविदाकार द्वारा निष्पादित अन्तिम कार्य मात्रा की पैमाइश 624.78 मी० निम्न प्रकार से ली गई है ।

$डी_1$ डब्ल्यू - 6x2.50+2x4x0.87+3x1.77+2x0.38=28.03 र०मी०

$डी_1$ - 4(2x 2.50 + 3 x1.25) = 35.00 र०मी

$डी_2$ - 4(2x2.10 + 0.90) = 418.20 र०मी

$डी_4$ - 29(2x2.10 + 0.75) = 143.55 र०मी

योग: 624.78 र०मी०

अतः दरवाजा संख्या $डी_2$ व $डी_3$ की पैमाइश की दो माप पुस्तिकाओं में की गई इन्द्राज से ली गई मात्रा में बहुत अधिक अन्तर आ रहा है जबकि सहायक अभियन्ता द्वारा पूर्व माप की पैमाइश बारे test check माप पुस्तिका संख्या 155 में डाल रखा था अतः अन्तिम पैमाइश में आये विचलन बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए व विभागीय जांच की जाए और अगर गलत पैमाइश की गई है तो संविदाकार को अधिक भुगतान की गई राशि की उनसे वसूली की जाए व दोषी कर्मचारी के विरुद्ध भी उचित कार्यवाही की जाए ।

(ख) स्टील का अनुचित परिवर्तन फार्मूला लगाकर संविदाकार को राशि रु0 3922.94 रुपये का अधिक भुगतान बारे में :-

नगर विकास प्राधिकरण द्वारा 8एम.एम. स्टील की लम्बाई की पैमाइश को किलोग्राम में परिवर्तित करने के लिए .395 का गुणांक लगाया जा रहा है, जबकि अन्य मोटाई के टोर स्टील की पैमाइश के लिए दो दशमलव के गुणांक लगाए जा रहे हैं, जिससे संविदाकार को अनुचित लाभ पहुँचाया जा रहा है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि स्टील की लम्बाई को किलोग्राम में परिवर्तित करने के लिए या तो दो दशमलव के परिवर्तित गुणांक लगाए जाएं या फिर सभी मोटाईयों के टोर स्टील को किलोग्राम में परिवर्तित करने के लिए तीन दशमलव के परिवर्तित गुणांक लगाए जाएँ क्योंकि सिर्फ 8 एम.एम. स्टील के लिए .395 का परिवर्तित गुणांक लगाकर उपरोक्त निर्माण कार्य में संविदाकार को राशि रु0 3922.94 रुपये का अधिक भुगतान किया गया। नौवें चलत बिल तक संविदाकार द्वारा 8एम.एम. स्टील की 44,084.46 रं.मी. कार्य मात्रा निष्पादित की जिसका वजन .395 गुणांक से 17,413.36 किलोग्राम के लिए संविदाकार को 17.80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से भुगतान किया गया। जबकि दो दशमलव का गुणांक .39 लगाकर 8एम.एम. स्टील का कुल भार 17192.94 किलोग्राम बनता है। अतः उपरोक्त बिल में निम्न विवरणानुसार संविदाकार को 8एम.एम. स्टील की 220.42 किलोग्राम की 17.80प्रति कि.ग्रा. की दर से रु0 3923.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया जिसकी संविदाकार से वसूली की जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

| माप पुस्तिका नं./पेज | 8 एम.एम. स्टील की लम्बाई | .395 पारिभाषित फार्मूले से कुल भार | .39 से पारिभाषित फार्मूले से कुल भार | कुल अधिक भार |
|---|---|---|---|---|
| डी-151/41 | 23352.59 | 9224.27 | 9107.51 | 116.75 |
| डी-151/88 | 1564.10 | 617.82 | 609.99 | 7.82 |
| डी-151/64 | 5375.17 | 2123.19 | 2096.31 | 26.87 |
| डी-151/86 | 12481.13 | 4930.05 | 4867.65 | 62.40 |
| डी-151/100 | 1311.45 | 518.02 | 511.46 | 6.55 |
| | | | कुल अधिक भार | 220.39 |

(ग) मद संख्या 14 जोकि प्रीफैब्रिकेटेड/फिनिशिंग 40 एम.एम. थिक और टाप विद प्रेस आफ फ्रस्ट क्लास दानेदार कुछ फिनिशिंग आफ 12 एम.एम. थिक कार्नीकल/एन्जल बीड वाटर प्रूफिंग और एलीगेशन विद बीडिंग आफ दानेदार कुछ से सम्बन्धित है की अनुमानित मात्रा 37.14 घन मीटर आंकी गई थी। संविदाकार द्वारा इस मद की दर 880/- रुपये प्रति घनमीटर भरी थी। बाद में चलते बिल में संविदाकार द्वारा इस मद की 179 घन मीटर मात्रा का कार्य निष्पादित किया गया था जिसके लिए संविदाकार को राशि रु 1,57,520.00 रुपये का भुगतान किया जा चुका था। उपरोक्त मद की माप पुस्तिका संख्या 204 के पेज 20 में दिनांक 30.12.97 को की गई पैमाइश से जाँच करने पर पाया गया कि प्राक्कलन द्वारा दर्शाये गये पैमाइश निम्नानुसार से की गई थी।

डी$_1$ = 4 x 1.24 x 2 = 9.92 घनमीटर

डी$_2$ = 85 x 0.79 x 2 = 134.30 -"-

डी$_4$ = 20 x 0.64 x 2 = 25.60 -"-

योग 169.82 -"-

माप पुस्तिका संख्या 206 पेज 20 में उपरोक्त दर्ज मात्रा का संशोधित पैमाइश किया गया है जिसके लिए संविदाकार को राशि रु 157520 का भुगतान किया गया।

डी$_1$ = 4 x 1•25 x2•02 = 10•10 क्यूमीटर

डी$_2$ = 82 x 0•80 x2 = 131•20 -"-

डी$_4$ = 29 x 0•65 x 2 = 37.70 / 179•00 -"-
योग

उपरोक्त दोनों पैमाइशों को न तो सहायक अभियन्ता द्वारा और न ही अधिशाषी अभियन्ता द्वारा टेस्ट चैक किया गया है जो कि भुगतान करने से पहले नियमानुसार आवश्यक है । अतः बिना सहायक अभियन्ता या अधिशाषी अभियन्ता के टेस्ट चैक के संविदाकार को किए गये भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए और उपरोक्त सभी मदों का नियमानुसार टेस्ट चैक करवाया जावे व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जावे । अधिक अदा की गई राशि 1865•60 रुपये की तुरन्त वसूली की जाए व अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा पर दर्शाई जाए :-

29• वाउचर संख्या: 34 दिनांक 19•3•98 राशि रु 424536/= रुपये

संविदाकार का नाम : श्री सतीश गोयल

निर्माण कार्य का नाम : के•के•सी•रिमला में व्यवसायिक परिसर का निर्माण (ब्लाक सं• 27,28,29 और 30 का निर्माण कार्य)

अनुबन्ध संख्या : एस•पी•एन•बी•पी•(जी) 10 वर्ष 1995-96

बिल संख्या: 19वां चलत बिल ।

माप पुस्तिका संख्या: 197 (पेज सं• 46 से 79 तक)

उपरोक्त निर्माण कार्य संविदाकार श्री सतीश गोयल को टैंडर राशि 12705303/= रुपये पर आवंटित किया गया 18वें चलत बिल [illegible] द्वारा राशि रु 2,15,32,159/ रुपये का कार्य सम्पादित किया गया था । उपरोक्त कार्य संविदाकार द्वारा दिनांक [illegible]•6•93 को शुरु किया था और इस कार्य को 18 महीने में पूरा करना था परन्तु अंकेक्षण [illegible] तक भी निर्माण कार्य [illegible] नहीं किया गया था । 19वें चलत बिल [illegible] निम्नलिखित [illegible] शीघ्र निपटाया जावे व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जावे ।

ख्र् मद संख्या 2 के गलत दर निर्धारण प्राधिकरण को राशि
रु0 5,64,135/= रुपये की हानि बारे :-

उपरोक्त निर्माण कार्य की मद संख्या 2 {परिशिष्ट ख}
जो कि मिट्टी के कटान से सम्बन्धित है की प्राधिकरण द्वारा
अनुमानित मात्रा 708.93 घन मीटर आंकी गई थी और जिसके
लिए संविदाकार को 70/= रुपये प्रति घन मीटर की दर देय थी।
19वें चलत बिल तक संविदाकार द्वारा इस मद की 8443.43
घन मीटर कार्य मात्रा का कार्य निष्पादित किया था जिसके लिए
संविदाकार को प्राधिकरण द्वारा 70/= रुपये प्रति घनमीटर की
दर से 921.63 घनमीटर कार्य मात्रा का भुगतान किया और
शेष कार्यमात्रा 7521.81 घन मी. के लिए संविदाकार को
145/= रुपये प्रतिघन मीटर की दर से भुगतान किया। अतः कुल
कार्यमात्रा 8443.43 {921.63 + 7521.81} के लिए
संविदाकार को राशि रु0 1155175/= रुपये का भुगतान किया
गया। जबकि प्राधिकरण द्वारा इस मद की अनुमानित मात्रा
708.93 एम3 व लागत कुल 49625/- रुपये आंकी गई थी इस
प्रकार केवली इसी मद पर संविदाकार को 1105550/= रुपये
का भुगतान अनुमानित लागत से अधिक किया गया। इससे
स्पष्ट प्रतीत होता है अनुमानित लागतें निर्धारित करने से पहले
निर्माण कार्य स्थल की जांच नहीं की जाती है व सिर्फ फैक्टर
देने के ऊपर अनुमानित लागतें निर्धारित की जा रही है। इस
मद में लगभग 1200% का विचलन दर्ज किया गया है और
30% से अधिक अनुमानित कार्यमात्रा पर संविदाकार को बाजार
भाव पर निर्धारित दरों से भुगतान पारित किया गया है
यद्यपि मुख्य प्रशासक प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र क्रमांक: एच.डी.
एन.डी.पी.-ए.डी.{डी}-टैक- [illegible] / अनुभाग 10/96
-97-7073-74 दिनांक 16.5.96 द्वारा उपरोक्त मद का भाव दर
146.80 रुपये प्रतिघन मीटर अनुमोदित कर दिया है परन्तु जिन
मदों को आधार माना गया है वो उचित व न्यायसंगत प्रतीत
नहीं होता है [illegible] अनुबन्ध उचित व न्यायसंगत प्रतीत नहीं
होता है। [illegible] अनुबन्ध पत्र के पैरा 48 [illegible] 5 [illegible]
.......

अनुसार यह स्पष्ट तौर पर लिखा है कि "

[illegible]

उपरोक्त मद की दर 146.00 रुपये प्रति घन मीटर अनुमोदित करते वक्त प्राधिकरण द्वारा मिट्टी की कटींग ~~और~~ और डिस्पोजल के लिए 2 किलोमीटर की दूरी ली गई जो कि देय नहीं थी और जिसके फलस्वरूप संविदाकार को राशि रु0 5,64,135/= रुपये का अधिक भुगतान किया गया है । अतः अधिक भुगतान की गई राशि की संविदाकार से तुरन्त वसूली की जावे व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए ।

(ख) संविदाकार द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य में निम्नलिखित मदों की निष्पादित वास्तविक मात्रा और अनुमानित मात्रा में अत्यधिक विचलन के कारण 30 प्रतिशत से अधिक विचलित मात्रा के ऊपर क्लाज 12-ए के अन्तर्गत बाजार दर से भुगतान का दावा करने व प्राधिकरण द्वारा बाजार दर पर भुगतान करने के फलस्वरूप संविदाकार को कुल राशि रु0 10,72,746.00 रुपये का अनुचित लाभ पहुँचाया गया प्रतीत होता है । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है ।

| क्र.सं. | विवरण | मात्रा | दर/बाजार दर | कुल राशि (रुपये) | अधिक भुगतान राशि (रुपये) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | कीटिंग इन अर्थ वर्क | 921.61घ.मी. | 70.00प्रति.घ.मी. | 64513.00 | — |
| | | 7521.80 -"- | 145.00 -"- -"- | 1090662.00 | 564135.00 |
| 1/4 | प्रोवाईडिंग फॉर्म वर्क (सी) वर्टीकल सरफेस | 1644.73घ.मी. | 61.00प्रति.घ.मी. | 100329.00 | — |
| | | 1711.62 " " | 80.40 -"- -"- | 137614.00 | 33205.00 |
| 1/7 | प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सीमेन्ट कन्क्रीट (सी) पाका। | 139.37घ.मी. | 1600.00प्रति.घ.मी. | 222992.00 | — |
| | | 406.02 -"- | 1907.50 -"- -"- | 774483.00 | 124851.00 |
| | (डी) पाका | 234.53 -"- | 1600.00 -"- -"- | 375248.00 | — |
| | | 3.07 -"- | 1935.00 -"- -"- (कुल रेट 1935.75) | 5940.00 | 1028.00 |
| 1/9 | प्रोवाईडिंग टोर स्टील रीइनफोर्समेन्ट फार आर.सी.सी.वर्क टोर स्टील। | 203229कि.ग्रा. | 17.80प्रति.कि.ग्रा. | 3617476.00 | — |
| | | 77400 -"- | 18.45 -"- -"- | 1428030.00 | 50310.00 |
| 1/13 | सैकण्ड क्लास ब्रीक वर्क मेसनरी इन सीमेन्ट मोर्टर | 2452.15घ.मी. | 196.00प्रति.घ.मी. | 480621.00 | — |
| | | 1745.96 -"- | 227.90 -"- -"- | 397904.00 | 55696.00 |
| 1/25 | स्टील वर्क वेल्डेड इन बिल्ट अप सेक्शन (डी) इन ट्रेसिंग | 34.62क्विंटल | 2320.00प्रति.क्विंटल | 80318.00 | — |
| | | 109.12 -"- | 2878.05 -"- -"- | 314064.00 | 60905.00 |
| 1/26 | प्रोवाईडिंग एण्ड फिक्सिंग स्टील ग्रील्ड डोर/विन्डो (ए) फिक्साट विन्डो | 868.46वर्ग.मी. | 520.00प्रति.वर्ग.मी. | 451599.00 | — |
| | | 404.65 -"- | 874.70 | 353947.00 | 143529.00 |
| 1/23 | प्रोवाईडिंग एण्ड फिक्सिंग एस.का. 30नं. (ए) स्टोरेज टैंक 540लिटर क्षमता 4नं. | | 3800.00 | 148200.00 | — |
| | | | 5206.80 | 20827.00 | 5627.00 |
| 1/7 | प्रोवाईडिंग लेड पाईप फीटिंग इन फा.सी.आई./सी.आई. एस पाईप (ए) 75एम.एम.साईज (बी) 100एम.एम.साईज | 385नं. | 34.00 | 13090.00 | — |
| | | 452नं. | 64.40 | 29109.00 | 13741.00 |
| | | 337नं. | 43.00 | 14491.00 | — |
| | | 406नं. | 76.55 | 31079.00 | 13621.00 |
| | | | | कुल राशि | 1072746.00 |

उपरोक्त मदों का बाजार भाव के आधार पर निर्धारण करते वक्त जिन कारणों को आधार माना गया है वह उचित प्रतीत नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर एक मद "प्रोवाईडिंग एम.एस. फ्लैट्स 3.15 एम.एम. थिक विद एन्गल आयरन" दर निर्धारण के वक्त एम.एस. प्लेट 90x60 से.मी. के चैकिंग्स प्लेट्स का बाजार भाव 300.00 रुपये जोड़ा गया है, जो कि बहुत अधिक है और मात्र भावदर को बढ़ाने व संविदाकार को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया प्रतीत होता है। भाव दर विश्लेषण बारे कोई लिखित कीमत भी नहीं दिखाई गई। इसके अतिरिक्त वर्ष 1997-98 में तथा इसके उपरान्त आवंटित अन्य निर्माण कार्यों में संविदाकार उपरोक्त मदों को निर्माण कार्यों का निष्पादन लगभग उन्हीं दरों पर कर रहे हैं जिन पर यह निर्माण कार्य आवंटित किया गया था। अतः अधिक निष्पादित कार्य मात्रा पर दिया गया भुगतान संविदाकार को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। परिणामस्वरूप प्राधिकरण को राशि रु 10,72,746.00 रुपये की हानि उठानी पड़ी, जिसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए और दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाए।

(ग) मद संख्या 11 जो कि स्टोन पिचिंग विदाउट रिटेनिंग/ ड्रेस्ट वाल से सम्बन्धित है कि संविदाकार द्वारा 344.15 घनमी. कार्य मात्रा निष्पादित की और 170.00 रुपये प्रतिघनमीटर की दर से कुल राशि रु 58,506.00 रुपये का भुगतान किया गया है। जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा कोई भी बोल्डर स्टोन जारी नहीं किया गया, जबकि उपरोक्त निर्माण कार्य से संविदाकार द्वारा [illegible] घन अर्थ वर्क की 8443.42 घन मीटर कार्य मात्रा निष्पादित की थी जिससे प्राप्त किया गया बोल्डर स्टोन सम्भवतः संविदाकार द्वारा मद संख्या 11 की कार्य मात्रा निष्पादित की थी जिससे प्राप्त किया गया बोल्डर स्टोन सम्भवतः संविदाकार द्वारा मद संख्या 11 की कार्य मात्रा में उपयोग किया गया होगा परन्तु प्राधिकरण ने इस सम्बन्ध में दरी/अभियन्ता द्वारा प्राप्त

.......

पोल्टर स्टोन को एम०ए०ए० रजिस्टर में दर्ज नहीं किया और संविदाकार को अनुचित लाभ पहुँचाया गया जिसकी जाँच की जाए और दोषी कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित की जाए।

26. वाउचर संख्या 38 दिनांक 20.9.97 राशि रु0 89002.00 रुपये

संविदाकार का नाम : श्री अजय अग्रवाल।

निर्माण कार्य का नाम : जिला [illegible] के रामपुर में आवासीय परिसर का निर्माण (16 नं० टाईप बी और 8 नं० टाईप सी फ्लैट, ब्लाक नं०6,7व11 का निर्माण कार्य)

अनुबन्ध संख्या: 1 वर्ष 1997-98

बिल संख्या: दूसरा चलत बिल।

उपरोक्त निर्माण कार्य श्री अजय अग्रवाल संविदाकार को प्राधिकरण के पत्र संख्या: एच पी एम डी पी (डी-1)-Acctt - 7/97-42-48 दिनांक 7.4.97 द्वारा आवंटित किया गया था। उपरोक्त निर्माण कार्य के टेण्डर राशि 60,99,972/= रुपये आंकी गई थी और संविदाकार द्वारा निर्माण कार्य का काम दिनांक 7.4.1997 को आरम्भ किया था और एक वर्ष के अन्दर पूरा करना तय हुआ था। उपरोक्त निर्माण कार्य के दूसरे चलत बिल की जाँच पर निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई, जिनकी जाँच की जाये व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

(क) अनुबन्ध एवं संविदाकार की फाईल में उपलब्ध अभिलेख की जाँच पर पाया गया कि छठे एवं अन्तिम चलत बिल तक मात्र 949483/= रुपये की [illegible] का कार्य माह अप्रैल,98 तक पूरा किया था जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि संविदाकार द्वारा निर्माण कार्य बहुत धीरे-2 किया जा रहा था और बाद में काम बन्द कर दिया था जैसा कि अधिशासी अभियन्ता के पत्र संख्या: एच पी एम डी पी -डी- Actt - रामपुर/98-390-94 दिनांक 10.9.98 से भी प्रतीत होता है। उपरोक्त पत्र से यह स्पष्ट है कि संविदाकार द्वारा काम बन्द कर रखा है जबकि इस निर्माण कार्य के लिए भारी [illegible]

कार्यस्थल पर बनाये गये भण्डार में संविदाकार और कनिष्ठ अभियन्ता के संरक्षण में रखा गया बताया गया था । निर्माण कार्य को पूरा करने की दिनांक 6.4.98 बताई गई है जबकि संविदाकार की दिनांक 6.4.98 बताई गई है जबकि संविदाकार द्वारा निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है । अंकेक्षण को यह बताया जाये कि प्राधिकरण द्वारा संविदाकार के विरुद्ध अनुबन्ध की शर्त संख्या 2 व 3 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की गई है या नहीं । अगर आज दिन तक संविदाकार के विरुद्ध अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की गई तो उसके क्या कारण रहे ।

(ज) कार्यस्थल पर भण्डार में रखे गये सारे सामान को प्राधिकरण के स्टाक खाते में दर्ज किया जाये और अगर किसी मद का स्टॉक कम पाया जाये तो उसकी वसूली संविदाकार से की जाये या सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता या अन्य दोषी अधिकारी से वसूली की जाये । उपरोक्त निर्माण कार्य को जारी सारे सामान का अभिलेख निर्माण रजिस्टर व बाकि सारे स्टाक को प्राधिकरण के भण्डार में जमा कराने सम्बन्धि पूर्ण अभिलेख आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाये ।

27. वाउचर संख्या 9 दिनांक 9.3.98 राशि रु. 36251/= रुपये

संविदाकार : मै. कपिल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी ।

निर्माण कार्य का नाम : के.डी.पी.-रिमाला-9 में अवशाषित परिवार का निर्माण ब्लॉक नं. 11 से 19 की सहायक सड़क से मुख्य सड़क की मेट लिंक/टॉरेन आर.डी.0/0 से 0/495 का निर्माण कार्य ।

अनुबन्ध संख्या : डी-7 वर्ष 97-98

निविदा संख्या: विज्ञापन दर्ज अनिवार्य निविदा

माप पुस्तिका संख्या: डी-199

उपरोक्त निर्माण कार्य मै. कपिल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को प्राधिकरण के पत्र संख्या एफ.ओ.एस. (टी.पी.)- 7-97-602-08, दिनांक 14.7.97 द्वारा राशि रु.

3,30,338/= रुपये में आवंटित किया गया था । माप पुस्तिका संख्या: 195 में दर्ज पैमाईश के इन्द्राज की जांच पर पाया गया कि संविदाकार द्वारा उपरोक्त निर्माणकार्य दिनांक 22.9.97 को शुरू किया और दिनांक 20.10.99 को समाप्त कर दिया । तीसरे व अन्तिम बिल तक संविदाकार द्वारा राशि रु0 6,80,269/= रुपये की कार्यमात्रा का कार्य किया क्योंकि उक्त निर्माण कार्य की टैंडर लागत राशि रु0 330338/= रुपये ही आंकी गई थी । इस प्रकार उपरोक्त निर्माण कार्य में 105% से ज ज्यादा का विचलन दर्ज किया गया पूर्व आक्षेप की जांच करने पर निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई जिनका तुरन्त निपटारा किया जावे व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जावे ।

(क) उपरोक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा पूर्व में संविदाकार श्री उमेश कुमार को पत्र संख्या: एस.पी.-एन.पी.पी.(डी)- - 7/96-1073-49 दिनांक 3.8.96 द्वारा निर्माण कार्य (

)

का आंकलन टैंडर राशि रु0 256,247.45 रुपये में किया गया था। यह निर्माण कार्य संविदाकार द्वारा दिनांक 18.8.96 को समाप्त करना था परन्तु माप पुस्तिका संख्या 139 (पेज 37 से 42) की जांच पर पाया गया कि संविदाकार द्वारा यह निर्माण कार्य दिनांक 18.1.97 को समाप्त किया जिसकी पैमाईश का इन्द्राज माप पुस्तिका संख्या 121 में किया गया था जो कि अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई । यह निर्माण कार्य राशि रु0 340928/= रुपये में समाप्त किया गया । संविदाकार द्वारा R0 0/0 से R0 0/492 में स्टोन पिचिंग, आर सी सी आफ सरफेस, टैक कोट, प्रीमिक्स कारपेट कोट, प्रीमिक्स सिलकोट सरफेसिंग आदि का कार्य किया था । लगभग 2½ महीने बाद अधिशाषी अभियन्ता (डी) ने पत्र संख्या: एस पी एन पी पी (डी)-डी पी- 19/97-4 दिनांक 2.4.97 द्वारा एक नया अनुमान राशि

रु0 2,32,260/- रुपये का सड़क के कुछ भागों की विशेष मुरम्मत का बनाया जिसमें सहायक सड़क आर•डी•0/0 से 0/93 ब्लाक संख्या 11 से 15 व आर•डी•0/0 से 0/81 ब्लाक संख्या 8ए, 8,10,16,17 और 27 को लिया गया था यह अनुमान इसलिए बनाया गया क्योंकि पहले बनाई गई सड़क अत्याधिक वाहनों के चलने व बरसात के कारण खराब हो गई बताई गई थी। उक्त अनुमानित लागत कि commercial approval/ Expenditure sanction मुख्य अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या: एच•पी•एन•पी सी-डब्लू -टी सी- Commercial Complex/97-2966-67 दिनांक 29•5•97 (जो पत्र संख्या एचपी एन वा पी -ए सी(पी)-टैंडर/व्यावसायिक परिसर/ के जे सी/97-4077-78 दिनांक 9•7•97 के द्वारा पढ़ा जाए) प्रदान की गई थी। इस द्वारा निर्माण कार्य मै0 कपिल कंट्रक्शन कम्पनी को आबंटित किया गया था।

(ख) उपरोक्त निर्माण कार्य के अनुमान के अनुसार Wearing Coat सड़क के निम्न दबे हुऐ भाग में किया जाना चाहिए था। आर•डी•0/50 से 0/65, 140 से 155, 185 से 230, 245 से 260, 260 से 272, 335 से 365, 440 से 455 और लिंक रोड की आर•डी• 0/36 से 48 व सड़क जो ब्लाक नं• 8, 8-ए, 10, 16, 17 और 27 आर•डी•0/00 से 0/181 (एक मीटर चौड़ी) जो सि0प्र0 पिछु परीक्षा द्वारा खोदी गई नाली बारे डालने के लिए।

उपरोक्त अनुमान के विपरीत ठेकेदार प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित सड़क के भाग पर Wearing Coat डाला गया बताया है। आर•डी• 0/50 से 0/65 के स्थान पर आर•डी•0/00 से 0/70, आर•डी•0/140 से 0/155 के स्थान पर आर•डी• 0/130 से 143•50, आर•डी•0/440 से 0/455 के स्थान पर आर•डी•0/453•50 से 0/493 और इसके अतिरिक्त सड़क के भाग आर•डी• 0/143 •50 से 0/493, अतिरिक्त सड़क के भाग आर•डी• 0/143•50 से 0/155,

0/165 से 0/230, 0/245 से 0/260, 0/260 से 0/272, 0/335 से 365 और 0/440 से 0/453•50 में कोई भी Wearing Coat नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त लिंक रोड जो ब्लाक नं• 27 में जाता है और जिसमें आर•डी• 0/00 से 0/181 में Wearing Coat एक मीटर चौड़ा किया जाना था के स्थान पर संविदाकार/प्राधिकरण द्वारा सड़क के भाग आर•डी• 0/66 से 0/178 में Wearing Coat. किया गया जिसकी चौड़ाई दो मीटर से 7•60 मीटर चौड़ी बताई गई थी। ब्लाक नं• 27 के पार्किंग एरिया की आर•डी• 0/00 से 0/18•40 और मुख्य पार्किंग की आर•डी• 0/0 से 0/029 में Wearing Coat किया गया बताया गया है जिसकी मात्रा 69•96 घन मीटर निष्पादित की गई बताई गई है। इसके अतिरिक्त ब्लाक नं• 29 की आर•डी• 0/178 से 0/211 में भी Wearing Coat किया गया बताया गया है जबकि यह कार्य अनुमान में सम्मिलित ही नहीं था।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि संविदाकार द्वारा किया गया निर्माण कार्य निम्न स्तर का था जिसके परिणामस्वरूप 2½ महीने के अन्दर ही दूसरा अनुमान प्राधिकरण को पारित करना पड़ा। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट हो रहा है कि प्राधिकरण द्वारा अनुमानित लागतें/अनुमान सिर्फ औपचारिकता मात्र ही तैयार किये जाते हैं क्योंकि न तो अनुमान के आधार पर संविदाकार से कार्य कराया जाता है और न ही अनुमान को वास्तविकताओं के अनुरूप संशोधित/अनुमोदित करवाया जाता है। अतः उपरोक्त निर्माण कार्य की पूर्ण जांच की जाये व दोषी संविदाकार के साथ-साथ दोषी अधिकारियों कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाये व प्राधिकरण को हुई हानि की वसूली की जाये।

..... 93.

इसके अतिरिक्त इस कार्य हेतु तारकोल विकास प्राधिकरण द्वारा स्वयं अपने भण्डार से उपलब्ध कराया जाना चाहिए था किन्तु नगर विकास प्राधिकरण द्वारा केवल 83 ड्रम अपने भण्डार से दिए जाने के उपरान्त शेष तारकोल 64 ड्रम जो अपने माध्यम से क्रय करने की अनुमति एल•पी•एन•डी•पी•/टी-1 एकाउन्ट्स-7/97 -1390-93 दिनांक 18•11•97 द्वारा प्रदान की गई जबकि माप पुस्तिका के अनुसार यह कार्य दिनांक 20•10•97 को पूर्ण हो गया दर्शाया गया था । तारकोल की वास्तव में सरकार द्वारा नियन्त्रित विधि से आपूर्ति की जाती है तथा निजि स्तर पर उक्त वस्तु अप्राप्य थी । चर्चा के समय दर्शाया गया कि ठेकेदार को नगर निगम [illegible] के [illegible] दिनांक 5•11•1996 द्वारा 414 ड्रम तारकोल के सम्बन्धित [illegible] से बालूगंज सड़क की मैटलिंग व टारिंग हेतु दिए गए थे उनका उपयोग ठेकेदार द्वारा प्राधिकरण के उपरोक्त कार्य पर किया गया था । यदि प्राधिकरण का यह कथन मान भी लिया जाए तो भी स्वतः स्पष्ट होता है कि ठेकेदार द्वारा नगर निगम के उपरोक्त कार्य को निम्न स्तर का करके व उक्त कार्य से तारकोल के ड्रमों की बचत करके प्राधिकरण के कार्य में उपयोग में लाया गया होगा अन्यथा प्राधिकरण अधिकारियों का यह कथन अविश्वसनीय प्रतीत होता है ।

इस सम्पूर्ण प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच की जानी आवश्यक है तथा इस जाँच से जो तथ्य प्रकाश में आएँ उनसे इस विभाग को अवगत कराया जाए ।

23• निर्माण कार्य चलत बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित चलत बिलों में अंकित दरों से निविदानुसार [illegible] दर की कटौती नहीं की गई है । इस प्रकार [illegible] धनराशि 317326•00 रुपये की [illegible] की कटौती की गई है जिसे तुरन्त वसूल किया जाए तथा वसूली से लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाए ।

| पास नं. | माह | अनुबन्ध सं. | वर्ष | बिल में जो काटा गया | बिल पर जो काटा जाना था । | कम काटा गया बिल में |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9/97 | 9 | 95-96 | 259330.00 | 432734.00 | 173404/- |
| 19 | 9/97 | 6 | 96-97 | 98101.00 | 145281/- | 47180/- |
| 34 | 3/98 | 10 | 95-96 | 342682/- | 430643/- | 87961/- |
| 31 | 9/97 | 73 | 96-97 | 374/- | 398/- | 24/- |
| 47 | 9/97 | 18 | 97-98 | 322/- | 400/- | 78/- |
| 26 | 9/97 | 29 | 96-97 | 5193/- | 5532/- | 339/- |
| 54 | 9/97 | 11 | 97-98 | 1848/- | 1960/- | 112/- |
| 52 | 9/97 | 2 | 97-98 | 5304/- | 9779/- | 4475/- |
| 9 | 3/98 | 7 | 97-98 | 11793/- | 13605/- | 1812/- |
| 1 | 3/98 | 15 | 97-98 | 8369/- | 10657/- | 2288/- |
| 3 | 3/98 | 16 | 97-98 | 2133/- | 2277/- | 144/- |
| 3 | 3/98 | 4 | 97-98 | 11/- | 20/- | 9/- |
| वर्कआर्डर | | | | 735460/- | 1053286/- | 317826/- |

29. [illegible] प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण के डिवीजन मण्डल के लेखाओं माह 9/97 व 3/98 के भिन्न-2 कार्य बिलों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि इन कार्यों के लिए भण्डार से जारी सीमेन्ट बैगों की जगह प्राप्त होने वाले खाली सीमेन्ट बैगों की बाबत अनुबन्ध की जनरल स्पेसिफिकेशन एण्ड कन्डीशन्स की नं. 4.8 के अनुसार नगर विकास प्राधिकरण में वापिस करना था लेकिन भिन्न-2 कार्यों जिनका पूर्ण ब्यौरा निम्न में दर्शाया जाता है, पर कुल 52,780 बैगों की खपत की गई । शर्त नं. 40 के अनुसार जारी किए गए सीमेन्ट बैगों के 90% भाग को ठेकेदार द्वारा प्राधिकरण में वापिस लौटाना था । अंकेक्षण के दौरान कोई भी ऐसा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे जारी किए गए सीमेन्ट बैगों के 90% भाग के बराबर खाली सीमेन्ट बैगों को प्राधिकरण द्वारा वापस लिया जा सके ।

प्राधिकरण में प्रचलित प्रथा के अनुसार यदि कोई संविदाकार उपरोक्त शर्तों के अनुसार कुल क्रय किए गए सीमेन्ट बैगों के 90% भाग के बराबर खाली सीमेन्ट बैगों को विभाग को वापिस नहीं लौटाता तो उस संविदाकार के चल बिल की देय राशि में से क्रय किए गए सीमेन्ट बैगों के 90% भाग के बराबर खाली सीमेन्ट बैगों की कीमत एक रुपया प्रति खाली सीमेन्ट बैग की दर से वसूली नहीं की जाती है और न ही विभाग द्वारा खाली बोरियों की प्राप्ति की गई थी । अतः कुल राशि 47,502.00 रुपये की वसूली सम्बन्धित संविदाकारों से करना सुनिश्चित किया जाए । भविष्य में जारी अनुबन्ध की समस्त शर्तों का पूर्ण पालन किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए । इसके अतिरिक्त अन्य इसी प्रकार के सभी प्रकरणों की जांच प्राधिकरण अपने स्तर पर करने के बाद वसूली योग्य राशि यदि कोई हो तो वसूल करने हेतु कार्यवाही अमल में लाए तथा यह प्रमाणित करें कि उन्होंने यह प्रक्रिया पूर्ण कर ली है ।

| वा.सं. | माह | अनुबन्ध सं. | वर्ष | सीमेन्ट जो उपयोग किया | वसूली योग्य राशि रुपये |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9/97 | 9 | 95-96 | 19570 | 17613.00 |
| 19 | 9/97 | 6 | 96-97 | 6400 | 5760.00 |
| 34 | 3/98 | 10 | 95-96 | 25548 | 22993.00 |
| 54 | 9/97 | 11 | 97-98 | 42 | 38.00 |
| 3 | 3/98 | 4 | 95-96 | 1220 | 1098.00 |
| | | | | 52700 | योग:- 47502.00 |

30. [illegible] वाहन संख्या एच.आर.ई. क्रा. 2073 [illegible] प्रति मीटर पेट्रोल [illegible] 1997-98 के दौरान [illegible] महीनों में 7 कि.मी. प्रति लीटर [illegible] 1997-98 में [illegible] 7/97 से 3/98 [illegible] वाहन 8433 कि.मी. [illegible] 8 कि.मी. प्रति लीटर

की औसत के आधार पर 8433/8 कुल 1056 लीटर पेट्रोल की खपत की जानी चाहिए थी जबकि पेट्रोल की खपत 1270 लीटर दिखाई गई थी अतः पेट्रोल की खपत 1270-1056=214 लीटर अधिक दिखाई गई थी अतः पेट्रोल की खपत अधिक दिखाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा अधिक दिखाई गई खपत 214 लीटर पेट्रोल के मूल्य की बाजार दर से वसूली करके जमा की जाए और माह 4/97 से 6/97 तक की लॉग बुक भी आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की जाए । जिसका पूर्ण विवरण निम्न से था ।

## परिशिष्ट

### वाहन सं० वा वैन एच•आई•एल• 2673 की पेट्रोल की औसत खपत का विवरण

| क्र० | माह | रन की गई दूरी | पेट्रोल की खपत | औसत खपत दर | वांछित खपत दर | वांछित खपत दर | वांछित खपत दर से पेट्रोल की खपत | अन्तर (4-7) | मूल्य प्रति लिटर | राशि (रु०) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/97 | - | खाता बुक | उपलब्ध नहीं | कराई गई | | | | | |
| 2• | 5/97 | | खाता बुक | उपलब्ध | नहीं कराई गई | | | | | |
| 3• | 6/97 | | खाता बुक | उपलब्ध | नहीं कराई गई | | | | | |
| 4• | 7/97 | 416 | 59 | 7 | 8 | | 52 | 7 | 21•00 | 147•00 |
| 5• | 8/97 | 911 | 129 | 7 | 8 | | 114 | 15 | 21•00 | 315•00 |
| 6• | 9/97 | 577 | 82 | 7 | 8 | | 72 | 10 | 22•27 | 222•70 |
| 7• | 10/97 | 1222 | 174 | 7 | 8 | | 153 | 21 | 22•27 | 467•70 |
| 8• | 11/97 | 182 | 26 | 7 | 8 | | 23 | 3 | 22•27 | 66•80 |
| 9• | 12/97 | 1030 | 191 | 5•40 | 8 | | 129 | 62 | 22•27 | 1380•75 |
| 10• | 1/98 | 1741 | 260 | 6•70 | 8 | | 218 | 42 | 22•27 | 935•35 |
| 11• | 2/98 | 1445 | 700 | 7•00 | 8 | | 181 | 27 | 22•27 | 601• 30 |
| 12• | 3/98 | 9[illegible] | 141 | 6•46 | 8 | | 114 | 27 | 22•27 | 601•30 |
| | | 8453 | 1270 | | | | 1036 | 214 | | 4737•90 |

..... 98•

(ख) वाहनों की लॉग बुक का अवलोकन करने पर पाया गया कि कुछ अधिकारियों द्वारा वाहन का प्रयोग किया दिखाया गया था लेकिन यात्रा का उद्देश्य तथा किन-2 स्थानों पर यात्रा की गई थी का विवरण लॉग बुक में नहीं दिया गया था । न ही इन प्रविष्टियों को गाड़ी का प्रयोग करने वाले अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया गया था । इस प्रकार इन वाहनों का दुरुपयोग किया जाना प्रतीत होता है । अतः निम्न मामलों में विस्तृत छानबीन करके गाड़ी का प्रयोग करने वाले अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों को सत्यापित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा की गई यात्रा की सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से वसूली की जाए ।

| वाहन सं. | दिनांक | जितनी गाड़ी चलाई गई । | जिस अधिकारी द्वारा गाड़ी प्रयोग की दिखाई गई थी । |
| --- | --- | --- | --- |
| एच.वाई.एफ. 2673 | 23.9.97 | 33 कि.मी. | अधिशासी अभियन्ता हिसार । |

31. (क) वाउचर संख्या 4 दिनांक 4.3.98 राशि 6472 रु.

[illegible] वाउचर के द्वारा Maintenance of various flats under SH.S. Shinh-9

के लिए जारी मस्टररोल सं. 167 पर दिनांक 1.2.98 से 28.2.98 तक लगाए गए श्री रमेश चन्द बेलदार को मजदूरी की राशि 1869.25 रुपये का भुगतान किया गया । ~~इस मस्टररोल सं. 167 पर दिनांक 1.2.98 से 28.2.98 तक लगाए गए श्री रमेश चन्द बेलदार को मजदूरी की राशि 1869.25 रुपये का भुगतान किया गया~~ । इस मस्टररोल का अवलोकन करने पर [illegible] श्री रमेश चन्द बेलदार को दिनांक 22.2.98 [illegible] (Paid holiday) दिया गया [illegible] 9 से 17.2.98 तक अनुपस्थित रहा [illegible] नियमानुसार इसे [illegible] बेलदार मजदूर को [illegible]

बेलदार को वेतनिक अवकाश केवल 5 दिन कार्य करने के पश्चात ही दे दिया गया जो अनियमित था इस प्रकार श्री रमेश चन्द को 45.75 पैसे की दर से एक दिन का अनुचित भुगतान किया गया इसलिए 45.75 पैसे अनुचित भुगतान की गई राशि की वसूली करने के बाद नगर विकास प्राधिकरण की निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए ।

वा० सं० 18 दिनांक 12.9.97 रु० 4632

(ख) उपरोक्त वाउचर द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण शिमला डिवीजन मण्डल मस्टरोल सं० 90 के अनुसार श्रीमती कला देवी पत्नी श्री मोहन सिंह को 1418 रुपये का भुगतान किया गया है परन्तु उपरोक्त भुगतान में से ई पी एफ तथा एफ.पी.एफ की कटौती नहीं की गई है । जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए ।

(ग) रोकड़ बही वा.सं. 49 दिनांक 31.3.98 के साथ संलग्न मस्टरोलों में से ई.पी.एफ तथा एफ.पी.एफ की 10% के हिसाब से इकट्ठी कटौती 8232/= रुपये की गई है । जिसका स्पष्टीकरण किया जाए कि ई.पी.एफ तथा एफ. पी. एफ. को अलग-अलग न दर्शाकर इकट्ठा क्यों दर्शाया गया है ।

32. वा०सं० 26 दिनांक 31.3.98 रु० 8340/= रुपये

उक्त वाउचर के द्वारा रु० 8340/= रुपये के C/o Residential Complex at Palampur Ri SHS Purchase of land के दिनांक 20.3.98 को स्टाम्प पेपर खरीदने हेतु भुगतान किया गया परन्तु इसकी प्रविष्टि स्टाम्प पुस्तिका में नहीं की गई है जिसकी प्रविष्टि की जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की जाए । [illegible] स्टाम्प पेपरों को उपयोग में नहीं लाया गया [illegible] स्टाम्प पेपरों के बाद में [illegible] 7720 [illegible] प्राधिकरण में [illegible] दर्ज [illegible] । [illegible] प्रकार का आदान प्रदान [illegible] 614 [illegible] औचित्य निर्धारित [illegible] जाए [illegible] स्वीकृति प्राप्त [illegible] जाए ।

....100.

## उप मण्डल, धर्मशाला

33. कार्य का नाम :- आवासी कम्पलेक्स सिद्धपुर, धर्मशाला
के नजदीक जिला कांगड़ा में 24 नं. टाईप
बी फ्लैट का निर्माण कार्य आन्तरिक जल
आपूर्ति एवम् स्थल विकास सहित करना ।
ब्लाक नं. 1, 21, व 22

संविदाकार का नाम :- श्री मदन लाल सोनी ।

अनुबन्ध संख्या : 7 वर्ष 1996-97

---

उपरोक्त कार्य का आवंटन श्री मदन लाल सोनी संविदाकार को निर्माण मण्डल 2 के पत्र संख्या: एच.पी.एच.बी.पी.(डी-II) निविदा/96-1334-41 दिनांक 9.5.96 द्वारा सिविल कार्य 167.06 प्रतिशत उपर हि० प्र० मानक दर अनुसूची 1987 तथा आन्तरिक जल आपूर्ति एवम् सैनिटेशन का कार्य 99.75 प्रतिशत उपर हिमाचल प्रदेश मानक दर अनुसूची भाग-II 1993, किया गया । कार्य के प्रथम चलत बिल से छठे चलत बिल तक किये गये कार्य के अभिलेख में विस्तृत जांच के दौरान राशि [illegible],665.76 रुपये के अधिक भुगतान के मामले उजागर किये गये जो आपके ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाये जाते हैं :-

(क) चौथे चलत बिल की मद संख्या 4/7 (हिमाचल प्रदेश मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 9.31 सी) द्वारा पोषित कार्य की कुल मात्रा 172.595 घन मीटर का भुगतान 1750 रुपये प्रति घन मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्या 601 पृष्ठ 80 पर किया गया । उपरोक्त कार्य मात्रा में शामिल 4.975 घन मीटर कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियां मापन पुस्तिका संख्या 601 पृष्ठ 58 पर दर्ज धन रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि डोर व विन्डो के उपर लिन्टल बीम से सम्बन्धित आर.सी.सी. 1:2:4 की कार्य मात्रा को [illegible] करते समय दर्शाई गई कुल कार्य मात्रा 4.975 घन मीटर का विवरण निम्न प्रकार से था:-

ब्लाक 21 ग्राउंड फ्लोर .975 घन मीटर

ब्लाक 22 [illegible] फ्लोर 0.975 घन मी.

| | | |
|---|---|---|
| | तीसरा फ्लोर | 0.975 घन मीटर |
| ब्लाक I | दूसरा फ्लोर | 0.975 घन मी. |
| | तीसरा फ्लोर | 0.975 घन मीटर |
| | | 4.875 घन मीटर |

उपरोक्त कार्य मात्रा की गणना करते समय ऊब्लू 6 डिन्टो की कार्य मात्रा की गणना निम्न प्रकार की रूप में की गई थी

<u>एक फ्लोर में कराई गई कार्य मात्रा</u>

ऊब्लू 6 डिन्टो 2x1 x0.90 x0.15 = 0.27 घन मी.

उपरोक्त कुल पांच फ्लोर ऊब्लू 6 डिन्टो x 5

में कराई गई कार्य मात्रा 1.35 घन मी.

उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित कार्य मात्रा का भुगतान घन मी. में किया जा रहा था अतः 100ऊब्लू 6 डिन्टो से सम्बन्धित कार्य मात्रा की गणना अन्य डिन्टो की तरह निम्न प्रकार की जानी थी।

ऊब्लू 6 डिन्टो की एक फ्लोर के लिए कार्य मात्रा 2x1x0.90x0.15x0.115 = 0.031घनमी

उपरोक्त कुल पांच फ्लोर के लिए x 5

ऊब्लू 6 डिन्टो की कुल कार्य मात्रा 0.155घनमी.

अतः उपरोक्त विवरणानुसार ठेकेदार को 1.195 घन मी. (1.35घन मी.−0.155 घन मी.) कार्य मात्रा के लिए 1750 रु. प्रति घन मीटर की दर से राशि 2091.25 रु. का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए।

[illegible] ठेकेदार [illegible] 4/7 (डी)(ii)(बी) मानक [illegible] दर सूची 1991 [illegible] 9.31 (ई) द्वारा वांछित [illegible] कुल मात्रा 9.607 घन मीटर का भुगतान [illegible] 601 पृष्ठ 01 पर 1750 रु. प्रति घन मीटर की दर से [illegible] उपरोक्त कार्य मात्रा में 2.476घनमी.

कार्य मात्रा ब्लाक 21 से सम्बन्धित थी उन कार्य मात्रा में शामिल 0.826 घन मीटर कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियां मापन पुस्तिका संख्या 601 पृष्ठ 29 पर दर्ज थी उन रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि बै पोर्टिका में आर.सी.सी. 1:2:4 से सम्बन्धित कार्य मात्रा की गणना करते समय गणना में गलती के कारण कार्य मात्रा 0.487 घ.मी. के स्थान पर 0.826 घन मी. दर्शाई गई थी जिसके फलस्वरूप ठेकेदार को 0.339 घन मी. कार्य मात्रा के लिए 1750 रु. प्रति घन मीटर की दर से रा. 593.25 रु. का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए ।

(ग) चौथे चलत बिल की संख्या 5/8 (सि0 90 मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 9.41) द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 38174.65 कि.ग्रा. का भुगतान 18.60 रु. प्रति किलो ग्राम की दर से मापन पुस्तिका संख्या 601 पृष्ठ 82 पर किया गया । उक्त कार्य मात्रा में शामिल विभिन्न ब्लाकों में की गई कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियों में गलती के कारण कार्य मात्रा 72.36 कि.ग्राम अधिक दर्शाई गई थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से था ।

| ब्लाक सं. | मापन पुस्तिका सं. तथा रिकार्ड प्रविष्टियां पृष्ठ सं. | | दर्शाई गई कार्य मात्रा कि.ग्रा. | वास्तविक कार्य मात्रा कि.ग्रा. | अधिक दर्शाई गई कार्य मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 21बी | 596 | 90से93 | 918.64 | 871.24 | 47.40 |
| 21डी | 596 | 94से96 | 1439.57 | 1420.29 | 19.28 |
| 21 [illegible] | 596 | 32 | 2063.44 | 2057.76 | 5.68 |
| | | | | योग | 72.36 |

उपरोक्त विवरणानुसार ठेकेदार को 72.36 कि.ग्रा. मात्रा के लिए 18.60 रु. प्रति कि.ग्राम की दर से रा. 1345.90 की राशि का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाये ।

(5) पांचवें चलत बिल की मद संख्या 5/8 हिमाचल प्रदेश मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 9.41 द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 43324.21 कि.ग्रा. का भुगतान 18.60 रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से मापन पुस्तिका संख्या 609 पृष्ठ 9 पर किया गया। उपरोक्त कार्य मात्रा में 13829.36 किलो ग्राम कार्य मात्रा ब्लाक 21 वीं से सम्बन्धित थी इस कार्य मात्रा में 2190.05 कि.ग्राम कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियां मापन पुस्तिका संख्या 602 पृष्ठ 13 से 22 पर दर्ज थी इन रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि स्टील के उपभोग से सम्बन्धित कार्य मात्रा गणना करते समय जमा गुणा में गलती के कारण कार्य मात्रा 2168.51 कि.ग्राम के स्थान पर 2190.05 कि.ग्राम दर्शाई गई थी। जिसके फलस्वरूप संविदाकार को 21.54 किलो ग्राम कार्य मात्रा के लिए 18.60 रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से राशि 400.64 रुपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाये।

(6) छठे चलत बिल की मद संख्या 23/21 हिमाचल प्रदेश मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 14.1(1) द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 43[illegible].75 वर्ग मीटर का भुगतान 300 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्या 660 पृष्ठ 50 पर किया गया। इस कार्य मात्रा में शामिल 205.95 वर्ग मीटर कार्य मात्रा जो ब्लाक 22 वीं से सम्बन्धित थी की रिकार्ड प्रविष्टियां मापन पुस्तिका संख्या 609 पृष्ठ 76 पर दर्ज की गई थी इन रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि सी.जी.आई.शीट छत्ति से सम्बन्धित कार्य मात्रा की गणना करते समय जमा गुणा में गलती के कारण कार्य मात्रा 203.75 वर्ग मीटर के स्थान पर 205.95 वर्ग मीटर दर्शाई गई थी जिसके फलस्वरूप संविदाकार को 2.20 वर्ग मीटर कार्य मात्रा के लिए 300 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से राशि 660 रुपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाये।

(ii) चौथे चलत बिल की मद संख्या 4/7 (हिमाचल प्रदेश मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 9.31 (ए)) द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 38.854 घन मीटर का भुगतान संविदाकार को 1700 रुपये प्रति घन मीटर की दर से मापन पुस्तिका सं. 601 पृष्ठ 79 पर किया गया। इस कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि कालमों के टेपर्ड भाग में आर.सी.सी. 1:2:4 की कार्य मात्रा के मापन हेतु सूत्र (टेपर्ड भाग के धरातल का क्षेत्रफल + टेपर्ड भाग के उपरी तल का क्षेत्रफल भाग 2 x टेपर्ड भाग की ऊंचाई) का प्रयोग किया गया था। जबकि कालमों के टेपर्ड भाग में आर.सी.सी. 1:2:4 की कार्य मात्रा के मापन के लिए सूत्र

$$\frac{एच}{3} \left( ए_1 + ए_2 + \sqrt{ए_1 + ए_2} \right)$$

का प्रयोग होना वांछित था। इस प्रकार गलत सूत्र का प्रयोग करने से संविदाकार को कुल कार्य मात्रा 5.217 घन मीटर का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से था।

| मापन पुस्तिका सं. | पृष्ठ | स्थान/भाग | ए$_1$ | ए$_2$ | एच/डी | देय मात्रा (घ.मी.) | दत्त मात्रा (घ.मी.) | अन्तर (घ.मी.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579 | 39 | ए$_1$ए$_6$ए$_1$बी$_5$ (4 नं.) | 1.36 | 0.08 | 0.30 | 0.70 | 0.949 | 0.249 |
| | | ए$_2$ए$_5$बी$_2$बी$_3$ बी$_4$ (5 नं.) | 2.02 | 0.08 | 0.40 | 1.66 | 2.112 | 0.452 |
| | | ए$_3$ए$_4$ (2 नं.) | 1.75 | 0.08 | 0.35 | 0.51 | 0.643 | 0.133 |
| | 40 | बी$_1$बी$_6$ (2 नं.) | 2.02 | 0.08 | 0.40 | 0.66 | 0.845 | 0.185 |
| | | बी$_3$बी$_4$ (2 नं.) | 2.80 | 0.08 | 0.60 | 1.34 | 1.730 | 0.390 |
| | | बी$_2$बी$_5$ (2 नं.) | 2.63 | 0.08 | 0.55 | 1.16 | 1.49 | 0.330 |
| 579 | 11 | ए$_1$ए$_6$बी$_1$बी$_5$ (4 नं.) | 1.36 | 0.08 | 0.30 | 0.70 | 0.949 | 0.249 |
| - | | ए$_2$ए$_5$बी$_2$बी$_3$ बी$_4$ (5 नं.) | 2.02 | 0.08 | 0.40 | 1.66 | 2.112 | 0.452 |
| | | ए$_3$ए$_4$ (2 नं.) | 1.75 | 0.08 | 0.35 | 0.51 | 0.643 | 0.133 |
| | | बी$_1$बी$_6$ (2 नं.) | 2.02 | 0.08 | 0.40 | 0.66 | 0.845 | 0.185 |
| | | बी$_2$बी$_5$ (2 नं.) | 2.63 | 0.08 | 0.55 | 1.16 | 1.490 | 0.330 |
| | | बी$_3$बी$_4$ (2 नं.) | 2.80 | 0.08 | 0.60 | 1.34 | 1.730 | 0.390 |
| 601 | 3 | ए$_1$ए$_6$बी$_1$बी$_5$ (4 नं.) | 1.36 | 0.08 | 0.30 | 0.70 | 0.949 | 0.249 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ए$_2$ए$_5$सी$_2$ सी$_3$सी$_4$ {5 नं॰} | 2.02 | 0.08 | 0.40 | 1.66 | 2.112 | 0.452 |
| ए$_3$ए$_4$ {2 नं॰} | 1.75 | 0.08 | 0.35 | 0.51 | 0.643 | 0.133 |
| बी$_1$बी$_6$ {2 नं॰} | 2.02 | 0.08 | 0.40 | 0.66 | 0.845 | 0.185 |
| बी$_3$बी$_4$ {2 नं॰} | 2.80 | 0.08 | 0.60 | 1.34 | 1.73 | 0.390 |
| बी$_2$बी$_5$ {2 नं॰} | 2.63 | 0.08 | 0.55 | 1.16 | 1.49 | 0.330 |
| | | | | | | 5.217 |

अतः उपरोक्त विवरणानुसार संविदाकार को 5.217 घन मी॰ मात्रा के लिए 1700 रुपये प्रति घन मीटर की दर से राशि 8868.90 रुपये का अधिक भुगतान किया गया था ।

(2) पांचवे चलत बिल की मद संख्या 4/7(बी) (हिमाचल प्रदेश मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 9.31 बी) द्वारा वर्णित कार्य मात्रा की कुल मात्रा 206.698 घन मी॰ का भुगतान 1750 रुपये प्रति घन मी॰ की दर से मापन पुस्तिका ~~[illegible]~~ संख्या 609 पृष्ठ 7 पर किया गया । उपरोक्त कार्य मात्रा में शामिल 7.513 घन मी॰ कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियां मापन पुस्तिका संख्या 602 पृष्ठ 46 पर दर्ज थी उन रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि ब्लाक नं॰ 21 की [illegible] दरवाजे के उपर लिन्टल बीम, कमरों में कप बोर्ड [illegible] आर सी सी॰ 1:2:4 के [illegible] कार्य मात्रा [illegible] को [illegible] की गई थी [illegible] भुगतान [illegible] था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है ।

| कार्य की मात्रा | [illegible] मात्रा |
|---|---|
| 2x1x1.20x0.15 = 0.36 | 2x1x1.20x0.15x0.115=0.04 |
| 2x1x1.10x0.15 =0.33 | 2x1x1.10x0.15x0.115=0.03 |
| 2x1x1.30x0.15 =0.39 | 2x1x1.30x0.15x0.115=0.04 |
| 4x1x1.05x0.15 =0.63 | 4x1x1.05x0.15x0.115=0.07 |
| 2x1x1.10x0.15 =0.33 | 2x1x1.10x0.15x0.115=0.03 |
| 2x1x1.75x0.65x0.07=0.16 | 2x1x1.75x0.65x0.07 =0.16 |
| 2x2.32x0.45x0.07=0.146 | 2x2.32x0.45x0.07 =0.146 |

.....106.

[illegible] 2)   2×1.90×0.60×0.07 = 0.160   2×1.90×0.60×0.07 = 0.160

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] नं. 21 की प्रथम फ्लोर की कार्यमात्रा | 2.506 घनमी. | 0.676 घनमी. |
| द्वितीय फ्लोर की कार्यमात्रा | 2.506 घनमी. | 0.676 घनमी. |
| तृतीय फ्लोर की कार्यमात्रा | 2.506 घनमी. | 0.676 घनमी. |
| | 7.518 घनमी. | 2.028 घनमी. |

उपरोक्त विवरणानुसार ठेकेदार को 5.490 घनमी. (7.518 घन मी. – 2.028 घन मी.) कार्य मात्रा के लिए 1750 रुपये प्रति घन मीटर की दर से राशि 9607.50 रुपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए।

(ख) पांचवे चलत बिल की मद संख्या 12/26 (विभागीय प्रदेश मानक दर अनुसूची 1987 का मद संख्या 15.5(सी)) द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 2650.60 मीटर का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 609 पृष्ठ 13 पर 140 रुपये प्रति मीटर की दर से किया गया। उपरोक्त कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि फैब स्टील डोर व विन्डो फ्रेम से सम्बन्धित सिंगल रिवेट व डबल रिवेट की कार्य मात्रा का भुगतान किया गया था। सिंगल रिवेट से सम्बन्धित कार्य मात्रा का विवरण निम्न प्रकार से था।

| मापन पुस्तिका संख्या | पृष्ठ | डोर/विन्डो फ्रेम | एक फ्रेम पर सिंगल रिवेट की मात्रा मीटर | एक क्वार्टर में कुल डोर/विन्डो फ्रेम सं. | एक क्वार्टर की कार्यमात्रा मीटर |
|---|---|---|---|---|---|
| 609 | 44 | डी | 5.00 | 8 | 40.00 |
| | 45 | डी$_1$ | 4.[illegible] | 16 | 73.24 |
| | | डी$_2$ | 4.79 | 8 | 3[illegible].32 |
| | | डी एफ | 2.7[illegible] | 8 | 21.76 |
| | | [illegible]$_3$ | 4.74 | 16 | 75.84 |
| | | [illegible]$_1$ | 1[illegible].[illegible] | 16 | 170.00 |
| | | [illegible]$_6$ | [illegible].1[illegible] | 8 | 16.[illegible] |
| | | [illegible]$_3$ | [illegible].14 | 8 | 17.1[illegible] |

....107.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ड कालम् | 3.92 | 8 | 31.36 |
| डी कालम् | 17.90 | 8 | 143.20 |
| | | | 633.68 मीटर |

ब्लाक संख्या 1,21 व 22 से 24 नं. फ्लेटों में प्रेस स्टील डोर व विन्डो फ्रेम का सिंगल रिवेट की कुल कार्य मात्रा 633.68 मीटर x3 = 1901.40 मीटर

उपरोक्त कुल कार्य मात्रा 2658.60 मीटर में 1901.40 मीटर कार्य मात्रा सिंगल रिवेट से सम्बन्धित थी जबकि दर का भुगतान कार्य अनुबन्ध की मद संख्या 26 (हिमाचल प्रदेश) मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 15.5 (डबल रिवेट) के लिए किया गया था जो कि उचित नहीं था। सिंगल रिवेट से सम्बन्धित किये गये कार्य की दर का निर्धारण कार्य अनुबन्ध की धारा 12(ii) के अनुसार निम्न प्रकार निर्धारित होना था।

कार्य में सम्मिलित श्रेणी के कार्य की प्रतिशतता:

| हि.प्र. मानक दर अनुसूची 1987 की मद सं. 15.5 की उपरोक्त वर्णित कार्य की मानक दर | | कार्य अनुबन्ध में ठेकेदार की दर | कार्य अनुबन्ध की मद सं. |
|---|---|---|---|
| | 70.95 | 140 | 26 |

प्रतिशतता: $\frac{(140 - 70.95) \times 100}{70.95}$ = 97.32 प्रतिशत

वास्तव में करवाये गये कार्य की दर का निर्धारण

वास्तव में करवाया गया कार्य (हि०प्र०) मानक दर अनुसूची 1987 की मद सं. 15.5

| | |
|---|---|
| (ए) उपरोक्त वर्णित कार्य की मानक दर | 60.70 रु. |
| + अनुबन्ध में सम्मिलित श्रेणी के कार्य की प्रतिशतता: 97.32 प्रतिशत | 59.07 रु. |
| | 119.77 रु. |

अतः संविदाकार को फ्रेम स्टील डोर व विन्डो फ्रेम [illegible] रिवेट से सम्बन्धित कार्य मात्रा 1901.40मीटर का भुगतान 119.77रुपये प्रति मीटर की दर से होना था जबकि 140रुपये प्रति मीटर की दर से भुगतान किया गया था जो कि 20.23रु. प्रति मीटर अधिक था इस प्रकार संविदाकार को 1901.40 मीटर कार्य मात्रा के लिए 20.23रुपये प्रति मीटर की दर से राशि 20.23रुपये प्रति मीटर की दर से राशि 38462.32रुपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जावे।

(ख) पांचवे चलत बिल की मद संख्या: 12/26 (हिमाचल प्रदेश मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 15.5(सी)) द्वारा अंकित कार्य की कुल मात्रा 2658.60मीटर कार्य मात्रा का भुगतान 140रुपये प्रति मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्या 609 पृष्ठ 13 पर किया गया। उपरोक्त कार्य मात्रा में शामिल फ्रेम स्टील डोर व विन्डो फ्रेम से सम्बन्धित कार्य मात्रा की गणना करने की डबल्यू विन्डो का प्लान सेक्शन के अनुसार कार्य मात्रा अधिक दर्शाई गई थी। एक ब्लाक में 8 नं. की डबल्यू विन्डो तथा ब्लाक नं. 1,21 व 22 तीन ब्लाकों में 24 नं. की डबल्यू विन्डो की इन विन्डो में 35.40 मीटर कार्य मात्रा का अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से था।

| मापन पुस्तिका संख्या: | पृष्ठ | ब्लाक नं. | जितनी कार्य मात्रा के लिए भुगतान किया गया था मीटर | जितनी कार्य मात्रा के लिए भुगतान किया जाना था मीटर | अन्तर |
|---|---|---|---|---|---|
| 602 | 51 | 21वी | 23.40x6=140.40 | 21.40x6=128.40 | 12.00 |
| 601 | 48 | 21वीं | 22.70x2=45.40 | 21.40x2=42.80 | 2.60 |
| | 48 | 22वी | 22.70x8=181.60 | 21.40x8=171.20 | 10.40 |
| | 48 | 1वीं | 22.70x8=181.60 | 21.40x8=171.20 | 10.40 |
| | | | | | 35.40मी. |

उपरोक्त विवरणानुसार संविदाकार को 35.40 मीटर कार्य मात्रा के लिए 140 रुपये प्रति मीटर की दर से राशि 4956.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जावे।

(ग) छठे चलत बिल तक 3600 सीमेन्ट की बोरियों की खपत दर्शाई गई थी। अनुबन्ध की सामान्य स्पेसिफिकेशन शर्तों की संख्या 48 के अनुसार 90 प्रतिशत सीमेन्ट की खाली बोरियों की वसूली की जानी थी किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि सीमेन्ट की खाली बोरियों के 90 प्रतिशत भाग की वसूली नहीं की गई थी अतः सीमेन्ट की खाली बोरियों के 90 प्रतिशत भाग 3240 की 1 रुपये प्रति बोरी की दर से रु0 324 रुपये की वसूली सुनिश्चित की जावे।

(घ) छठे चलत बिल की मद संख्या 28/ई(ए) (हिमाचल प्रदेश मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 12.5 (iii)(सी)) द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 38.491 वर्ग मीटर का भुगतान 900 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्या 660 पृष्ठ 53 पर किया गया। उपरोक्त मद द्वारा देवदार की लकड़ी के डोर व विन्डो के शटर लगाने से सम्बन्धित कार्य मात्रा का अतिरिक्त मद के रूप में भुगतान किया गया था उपरोक्त मद हेतु मुख्य प्रशासक नगर विकास प्राधिकरण द्वारा 869.30 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर अनुमोदित की गई थी जबकि भुगतान 900 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से किया गया था। अतः संविदाकार के उपरोक्त मामले में 30.70 रु0 (900-869.30) प्रति वर्ग फुट की दर से 38.491 वर्ग फुट कार्य मात्रा के लिए राशि 1182.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जावे :-

(ङ) छठे चलत बिल की मद संख्या 36/ई(ए) (हिमाचल प्रदेश मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 11.51 (ए)) द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 27.82 वर्ग मीटर का भुगतान 1600 रु0 प्रति वर्ग मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्या 660 पृष्ठ 60 पर

किया गया । उपरोक्त भुगतान की गई कार्य मात्रा की दर का अवलोकन करने पर पाया गया कि मार्बल वर्क स्पैड मारकाना टेबल रबिंग से सम्बन्धित कार्य की दर मुख्य प्रशासक नगर विकास प्राधिकरण द्वारा 1087.60 रु. प्रति वर्ग मीटर अनुमोदित की गई थी जबकि भुगतान 1600 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से किया गया था जिसके फलस्वरूप संविदाकार को 27.82 वर्ग मीटर कार्य मात्रा के लिए 512.40 रुपये (1600-1087.60) प्रति वर्ग मीटर की दर से राशि 14255.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाये ।

34. कार्य का नाम : आवासीय कम्पलेक्स सिद्धपुर, धर्मशाला के नजदीक जिला कांगड़ा में टाईप ए फ्लैट 16 नं. टाईप बी फ्लैट 8 नं. व टाईप सी फ्लैट 9 नं. से सम्बन्धित निर्माण के कार्य सहित करना । इक=
टाईप ए ब्लाक नं. 3 व 4
टाईप बी ब्लाक नं. 2
टाईप सी ब्लाक नं. 10

संविदाकार का नाम : श्री सुभाष चन्द ठाकुर

अनुबन्ध संख्या 6 वर्ष 1996-97

उपरोक्त कार्य का आवंटन श्री सुभाष चन्द संविदाकार को निर्माण मण्डल 2 के पत्र संख्या: एच.पी.एन.बी.पी डी II टैन्डर /96-1319-26 दिनांक 8.5.96 द्वारा सिविल कार्य 160.55 प्रतिशत उपर हि0 प्र0 मानक दर अनुसूची 1987, तथा आन्तरिक जल आपूर्ति व सैनिटेशन का कार्य 101.03 प्रतिशत उपर हिमाचल प्रदेश मानक दर अनुसूची भाग 2 1993 पर किया गया । कार्य के प्रथम चलत बिल से छठे चलत बिल तक किये गये भुगतान के दौरान निरीक्षण जांच करने पर संविदाकार को 34560.08 रुपये की राशि के अधिक भुगतान के निम्न मामले उच्चाधिकारियों के ध्यान में शीघ्र उचित कार्यवाही हेतु लाये जाते हैं ।

(ख) प्रथम चलत बिल की मद संख्या 1/1 (हिमाचल प्रदेश मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 7.4 (बी)(सी)) द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 144.306 घन मी. का भुगतान 70 रुपये प्रति घन मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्या 556 पृष्ठ 55 पर किया गया। उपरोक्त कार्य मात्रा में शामिल 73.442 ~~[illegible]~~ घन मीटर कार्य मात्रा ब्लाक नं. 10 टाईप सी फ्लैट से सम्बन्धित थी जिसे मापन पुस्तिका संख्या 556 पृष्ठ 41 लेखांकित किया गया था। इस कार्य मात्रा 73.442 घन मीटर में शामिल 60.912 घन मी. कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 578 पृष्ठ 5 पर दी थी का अवलोकन करने पर पाया गया कि ब्लाक 10 सी के कालमों से सम्बन्धित खुदाई के कार्य की गणना करते समय ए लाईन व बी लाईन में कालमों की संख्या 8 कालम प्रति लाईन दर्शाई गई थी जबकि मैप संख्या 2 दिनांक 20.1.96 के अनुसार जो ब्लाक 10 सी से सम्बन्धित था के अनुसार लाईन ए व लाईन बी में कालमों की संख्या 7 कालम प्रति लाईन थी। अतः ब्लाक 10 सी के कालमों की खुदाई के कार्य की गणना करते समय लाईन ए व बी में कालम की संख्या 7 कालम प्रति लाईन के स्थान पर 8 कालम प्रति लाईन दर्शाये जाने के कारण कालम ए 8 व बी 8 की कार्य मात्रा जो निम्न विवरणानुसार 4.859 घन मी. दर्शाई गई थी के लिए ठेकेदार को 70 रुपये प्रति घन मीटर की दर से रु. 340.13 रुपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाये।

कालम ए 8    1.30x1.45x0.90 = 1.70 घन मी.

कालम बी 8   1.80x1.95x0.90 = 3.159 घन मी.

4.859 घन मी.

(ग) प्रथम चलत बिल की मद संख्या 6/9 (हिमाचल प्रदेश मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 9.41) द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 11619.02 किलो ग्राम का भुगतान 10 रु. प्रति ग्राम की दर से मापन पुस्तिका संख्या 556 पृष्ठ 65 पर

......112.

किया गया। इस कार्य मात्रा में शामिल 1541.36 किग्राम कार्य मात्रा मापन पुस्तिका संख्या 556 पृष्ठ 46 से लाई गई थी 1541.36 किग्राम कार्य मात्रा में शामिल 850.57 किग्रा. कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 578 पृष्ठ 41 से 47 पर दर्ज थी इन रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि मापन पुस्तिका 578 पृष्ठ 46 पर 16 एम.एम. स्टील की प्रयोग की गई 3 मी. मात्रा को किग्रा. में बदलते समय 1.58 से गुणा करने के स्थान पर 3.85 के फैक्टर से गुणा किया गया था जिसके फलस्वरूप 4.74 किग्राम के स्थान पर 11.55 किग्रा. का भुगतान किये जाने पर 6.81 किग्रा. कार्य मात्रा के लिए 18 रुपये प्रति किग्राम की दर से राशि 122.58 रुपये का संविदाकार को अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाये।

(ग) चौथे चलत बिल की मद संख्या 6/9 (हिमाचल प्रदेश मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 9.41) द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 42218.82 किग्राम का भुगतान 18 रुपये प्रति किग्राम की दर से मापन पुस्तिका संख्या 605 पृष्ठ 13 पर किया गया था। उपरोक्त कार्य मात्रा में शामिल ब्लाक 2 टाईप बी से सम्बन्धित 13088.01 किग्राम का भुगतान किया गया था इस कार्य में से शामिल 798.70 किग्रा. कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या: 603 पृष्ठ 16 से 19 पर की गई थी इन रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि एम.बी. 603 के पृष्ठ 17 पर 8 एम.एम. स्टील की 18.91 मी. कार्य मात्रा को किग्राम में बदलते समय 0.39 के स्थान पर 0.89 के फैक्टर से गुणा करने के कारण कार्य मात्रा 7.32 किग्राम के स्थान पर 16.82 किग्राम दर्शाई गई थी जिसके फलस्वरूप संविदाकार को 9.45 किग्राम (16.82 किग्रा—7.32 किग्राम) के लिए 18 रुपये प्रति किग्राम की दर से राशि 170.10 रुपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाये।

(ड.) चौथे चालू बिल की मद संख्या 13/31(ए)(हिमाचल प्रदेश मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 15.5(ए)) द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 1005.96 मीटर का भुगतान 135 रुपये प्रति मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्या 605 पृष्ठ 19 पर किया गया। उपरोक्त कार्य मात्रा में क्लास 2 टाईप से सम्बन्धित 490.48 मीटर का भुगतान किया गया था। इस कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या: 603 पृष्ठ 72 व 73 पर दर्ज थी। इन रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि डी वैफ एफ डोर की सिंगल रिबेट से सम्बन्धित कार्य मात्रा 2.64 मीटर मापी गई थी। इस कार्य मात्रा के आधार पर ग्राउंड फ्लोर से तीसरे फ्लोर तक कुल कार्य मात्रा की गणना करते समय उपरोक्त कार्य मात्रा 2.64 मी. के स्थान पर 2.72 मी. दर्शाई गई थी जिसके कारण एक डी वैफ डोर फ्रेम की सिंगल रिबेट की कार्य मात्रा 0.08 मी. (2.72 मी.−2.64 मी.) अधिक दर्शाई गई थी तथा ग्राउंड फ्लोर से तीसरे फ्लोर तक कुल 8 दरवाजों की कार्य मात्रा की गणना करते समय 0.64 मीटर (0.08 मी.x8) कार्य मात्रा अधिक दर्शाई गई थी जिसके फलस्वरूप संविदाकार को 0.64 मी. कार्य मात्रा के लिए 135 रुपये प्रति मीटर की दर से राशि 86.40 रुपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जावे।

(च) चौथे चालू बिल की मद संख्या 13.31 (सी) (हिमाचल प्रदेश मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 15.5(सी)) द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 539.28 मीटर का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 605 पृष्ठ 19 पर 140 रुपये प्रति मीटर की दर से किया गया। इस कार्य मात्रा में 212.72 मी. कार्य मात्रा क्लास 2 टाईप की से सम्बन्धित थी। 212.72 मी. कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 603 पृष्ठ 72 व 73 पर की गई थी। इन रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि डी वैफ डोर फ्रेम से सम्बन्धित उक्त रिबेट की कार्य मात्रा 4.89 मीटर मापी गई थी।

......114.

ग्राउंड फ्लोर से तीसरे फ्लोर तक कुल 8 नं. डोर फ्रेम की कार्य मात्रा की गणना करते समय एक डोर फ्रेम की उपरोक्त कार्य मात्रा 4.89 मीटर के स्थान पर 4.93 मीटर दर्शाये जाने के कारण 8 नं. डोर फ्रेम के लिए 0.32 मीटर कार्य मात्रा अधिक दर्शाई गई थी ।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त 212.72 मीटर कार्य मात्रा की गणना करते समय डब्लयू 1 विन्डो फ्रेम से सम्बन्धित डबल रिबेट के कार्य का मात्रा एक विन्डो फ्रेम के लिए निम्न विवरणानुसार 5.22 मीटर तथा ब्लाक 2 बी की कुल 16 नं. विन्डो फ्रेम के लिए 83.52 मीटर गणी गई थी ।

डब्लयू 1 वर्टीकल फ्रेम 2x1.20 = 2.40मी.
डबल रिबेट हॉरीजेन्टल फ्रेम 1x1.47=1.47मी.
हॉरीजेन्टल फ्रेम 3x0.45= 1.35 मी.
5.22मी.

कुल 16 नं. फ्रेम के लिए दर्शाई गई कार्य मात्रा
5.22x16=83.52मी.

जबकि उपरोक्त डब्लयू 1 विन्डो फ्रेम की ड्राइंग एवं सिंगल रिबेट की दर्शाई गई कार्य मात्रा के आधार पर डबल रिबेट से सम्बन्धित डब्लयू 1 विन्डो फ्रेम का कार्य मात्रा निम्न विवरणानुसार 4.32 मी. व कुल 16 नं. विन्डो के लिए 69.12 मी. दर्शाई जानी चाहिए थी ।

डब्लयू 1 वर्टीकल फ्रेम 2x1.20 = 2.40मी.
विन्डो हॉरीजेन्टल फ्रेम 1x1.47 =1.47मी.
डबल रिबेट हॉरीजेन्टल फ्रेम 1x0.45= 0.45मी.
4.32मी.

ब्लाक 2 बी की 16 नं. फ्रेम के लिए कुल कार्य मात्रा
4.32x16= 69.12मी.

उपरोक्त विवरणानुसार [illegible] 14.40मी. (83.52मी - 69.12मी.) कार्य मात्रा का अधिक भुगतान किया जाता था ।

अतः उपरोक्त मामले में 14.72 मी० {14.40मी+0.32 मी०} कार्य मात्रा का संविदाकार को 140 रुपये प्रति मीटर की दर से राशि 2060.80 रुपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जावे ।

{छ} पांचवे चलत बिल की मद संख्या 12/क्ष वार्ड {पी०डब्लू० मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 10.24} हुप आवरन सहित द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 2426.72 वर्ग मीटर का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 608 पृष्ठ 13 पर 190 रु० प्रति वर्ग मीटर {आंशिक दर} की दर से किया गया । पूर्ण दर 212.45 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से छठे चलित बिल में भुगतान किया गया था उपरोक्त कार्य मात्रा में 1048.40 वर्ग मी० कार्य मात्रा ब्लाक 10 सी से सम्बन्धित थी तथा कार्य मात्रा में शामिल 971.28 वर्ग मीटर कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियां मापन पुस्तिका संख्या 599 पृष्ठ 49 से 52 पर की गई थी इन रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि हाफ ब्रिक मेसनरी की सुपरस्ट्रक्चर में कार्य मात्रा में गणना करते समय ब्लाक 10 सी के ग्राउण्ड फ्लोर में पोर्टिकों के सामने लगे हाफ ब्रिक मेसनरी की कार्य मात्रा को 2 से गुणा करके दुगना कर दिया था जिसके कारण पोर्टिकों के सामने लिये गये हाफ ब्रिक मेसनरी की ग्राउण्ड फ्लोर से तृतीय फ्लोर तक कुल कार्य मात्रा निम्न विवरणानुसार 45.76 वर्ग मीटर दर्शाई गई थी ।

ग्राउण्ड फ्लोर 2x2x1.00x2.86 = 11.44 वर्ग मीटर
ब्लाक 10 सी में ग्राउण्ड फ्लोर से तृतीय फ्लोर तक
दर्शाई गई कुल कार्य मात्रा x 4
-------
45.76 वर्ग मीटर
-------

पोर्टिकों के सामने ब्रिक [illegible] कार्य मात्रा को 2 से गुणा करके दुगना नहीं [illegible] जाना था क्योंकि [illegible] स्थान दोनों फ्लैटों के बीच का भाग था अतः [illegible] मात्रा निम्न विवरणानुसार प्रत्येक फ्लोर में 5.72 वर्ग मी० तथा ब्लाक 10 सी



--- ....

में कुल कार्य मात्रा 22•28 वर्ग दर्शाई जानी चाहिए थी।

ग्राउण्ड फ्लोर 2×1•00×2•86 = 5•72वर्ग मी•

ब्लाक 10 सी• ग्राउण्ड फ्लोर से तृतीय फ्लोर ×4
तक पोडियों के सामने ब्रिक वर्क के
कार्य की कुल कार्य मात्रा — 22•88वर्ग मीटर

उपरोक्त विवरणानुसार ब्लाक 10 टाईप सी में ब्रिक वर्क की कार्य की गणना करते समय कार्य मात्रा 22•88वर्ग मीटर {45•76वर्ग मी — 22•88वर्ग मीटर} अधिक दर्शाई गई थी जिसके लिए संविदाकार को 212•45 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से राशि 4860•85 रुपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाये।

{ज} उपरोक्त मद की कुल कार्य मात्रा 2426•72वर्ग मीटर में ब्लाक 10 सी से सम्बन्धित कार्य मात्रा 1048•40वर्ग मीटर में शामिल 77•12वर्ग मीटर कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 605 पृष्ठ 65 पर की गई थी इन रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि हाफ ब्रिक मैसनरी की सुपर स्ट्रक्चर में कार्य मात्रा की गणना करते समय ब्लाक 10 सी के मास्टर बेड रूम की फ्रंट वाल की कार्य मात्रा की गणना लिन्टल बीम के ऊपर निम्न प्रकार की गई थी।

| | | | |
|---|---|---|---|
| फ्रंट वाल मास्टर बैड रूम | ग्राउण्ड फ्लोर | 1×2×2•90×0•83 = 4•81वर्ग मी• | |
| | प्रथम फ्लोर | 1×2×2•90×0•83 = 4•81वर्ग मी• | |
| | द्वितीय फ्लोर | 1×2×2•90×0•83 = 4•81वर्गमी• | |
| | तृतीय फ्लोर | 1×2×2•90×0•83= 4•81 वर्ग मी• | |
| | | 19•24वर्ग मी• | |

ब्लाक 10 सी के मास्टर बैड रूम की फ्रंट वाल की लिन्टल बीम तक पहले किये कार्य की गणना निम्न प्रकार की गई थी।

| | | | |
|---|---|---|---|
| फ्रंट वाल मास्टर बैड रूम | मापन पुस्तिका सं• 599 पृष्ठ 49 | ग्राउण्ड फ्लोर | 1×2×2•90×2•58=14•96वर्गमी• |
| | | प्रथम फ्लोर | 1×2×2•90×2•58=14•96वर्गमी• |
| | | दूसरा फ्लोर | 1×2×2•90×2•58=14•96वर्गमी• |
| | | तीसरा फ्लोर | 1×2×2•90×2•58=14•96वर्गमी• |
| | | | 29•04वर्गमी• |

ब्लाक 10 सी के मास्टर बैड रूम की दीवार की कुल ऊँचाई 2.88 मीटर थी जिसके लिए 2.58 मीटर ऊँचाई तक कार्य मात्रा की गणना मापन पुस्तिका संख्या 599 पृष्ठ 49 पर की गई थी तथा मापन पुस्तिका 605 पृष्ठ 65 पर 0.30 मीटर ऊँचाई तक ही गणना की जानी थी जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

फ्रंट वाल मास्टर बैड रूम

ग्राउंड फ्लोर 1x2x2.90x0.30 = 1.74 वर्ग मी.
प्रथम फ्लोर 1x2x2.90x0.30 = 1.74 वर्गमी.
द्वितीय फ्लोर 1x2x2.90x0.30 = 1.74 वर्गमी.
तृतीय फ्लोर 1x2x2.90x0.30 = 1.74 वर्ग मी.

6.96 वर्ग मी.

उपरोक्त विवरणानुसार ब्लाक 10 सी के ग्राउंड फ्लोर में फ्रंट वाल की लिन्टल बीम के ऊपर की कार्य मात्रा की गणना करते समय ऊँचाई 0.30 मीटर के स्थान पर 0.83 मीटर दर्शाये जाने के कारण ग्राउंड फ्लोर से तृतीय फ्लोर तक कुल कार्य मात्रा 6.96 वर्ग मीटर के स्थान पर 19.24 वर्ग मीटर दर्शाये जाने के कारण संविदाकार को 12.28 वर्ग मीटर कार्य मात्रा के लिए 212.45 रु. प्रति वर्ग मीटर की दर से राशि 2608.85 रुपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जावे।

(ग) पायदें बदल दिल की मद संख्या 13/31 (ए) दि०पु० मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 15.5 (ए) द्वारा वर्गीकृत कार्य की कुल मात्रा 1728.20 मीटर का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 608 पृष्ठ 15 पर 135 रु. प्रति मीटर की दर से किया गया। उपरोक्त कार्य मात्रा में ब्लाक 2 टाईप बी से सम्बन्धित 625.68 मीटर कार्य मात्रा शामिल थी। 625.68 मी. कार्य मात्रा में शामिल 135.20 मीटर कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 605 पृष्ठ 92 पर दर्ज थी इन रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्रिल स्टील डोर व विन्डो फ्रेम की कार्य मात्रा की गणना करते समय भी डबल्यू विन्डो का [illegible] से सम्बन्धित कार्य मात्रा निम्न विवरणानुसार 14.40 मीटर अधिक दर्शाई गई थी।

| डी डब्ल्यू सिंगल रिबेट | दर्शाई गई कार्य मात्रा | वास्तविक कार्य मात्रा डी डब्ल्यू विन्डो की ड्राइंग के अनुसार |
|---|---|---|
| हॉरीजेन्टल मेम्बर | 2x1.80 = 3.60 | 1x1.80 = 1.80 |
| -"- | 6x 0.55= 0.55 | 6x0.55 = 0.55 |
| -"- | 2x 0.50= 1.00 | 2x0.50 = 1.00 |
| वर्टीकल मेम्बर | 2x1.70 = 3.40 | 2x1.70 = 3.40 |
| -"- | 2x 1.15= 2.30 | 2x 1.15= 2.30 |
| -"- | 6x 0.55= 3.30 | 6x 0.55= 3.30 |
| एक डी डब्ल्यू विन्डो की कार्य मात्रा | 16.90 मी. | 15.10 मीटर |
| ब्लाक 2 टाईप सी की डी डब्ल्यू विन्डो 8 नं. की कुल कार्य मात्रा | x8 | x8 |
| | 135.20 मीटर | 120.80 मीटर |

उपरोक्त विवरणानुसार संविदाकार को 14.40 मीटर (135.20 मीटर-120.80 मीटर) कार्य मात्रा के लिए 135 रुपये प्रति मीटर की दर से राशि 1944.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया था। जिसकी वसूली सुनिश्चित की जावे।

(अ) पांचवे चलत बिल से मद संख्या 13/31(बी) (डि0प्र0 मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 15.5बी) द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 1159.84 मीटर का भुगतान 140 रुपये प्रति मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्या 608 पृष्ठ 15 पर किया गया। इस कार्य मात्रा में 539.70 मीटर कार्य मात्रा ब्लाक 10 सी से सम्बन्धित थी इस कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियां एम.बी. 605 पृष्ठ 52 पर दर्ज थी इन रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि डब्ल्यू 4 विन्डो ग्रिल स्टील डोर व विन्डो ग्रिल से सम्बन्धित डबल रिबेट की कार्य मात्रा की गणना करते समय निम्न विवरणानुसार कार्य मात्रा 11.63. मीटर अधिक दर्शाई गई थी।

| क्लू 4 विन्डो की ब्लाक रिवेट के सम्बन्धित कार्य मात्रा | दर्शाई गई कार्य मात्रा | माप लेखन के अनुसार वास्तविक कार्य मात्रा | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| हॉरीजेन्टल मेम्बर | 2x0.45 = 0.90 | 2x0.45 = 0.90 | वर्टीकल मेम्बर 1.46मी की गणना मापन पुस्तिका संख्या 605 पृष्ठ 49 पर सिंगल रिवेट की कार्य मात्रा की गणना करते समय गणना कर ली गई थी। |
| गारम | 1x1.00 = 1.00 | 1x 1.00=1.00 | |
| वर्टीकल मेम्बर | 1x1.46 = 1.46 | ---- | |
| मिडल | 1x0.93 =0.93 | 1x0.93 =0.93 | |
| एक विन्डो की कार्यमात्रा | 4.29मीटर | 2.83मी. | |
| ब्लाक 10 सी की कुल 8 नं. क्लू 4 विन्डो की कार्यमात्रा | x8<br>34.32मीटर | x8<br>22.64मीटर | |

उपरोक्त विवरणानुसार संविदाकार को 11.68मीटर {34.32मीटर-22.64 मीटर} की कार्य मात्रा के लिए 140रुपये प्रति मीटर की दर से राशि 1635.20रुपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जावे।

{ट} छठे चलता बिल की मद संख्या 2/2{बी}{ {सि0पु} मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 8.14 8.4{बी} द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 1443.106 घन मीटर का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 659 पृष्ठ 4 पर 90रुपये प्रति घन मीटर की दर से किया गया। इस कार्य मात्रा में 623.61 घन मीटर कार्य मात्रा ब्लाक संख्या 10 सी से सम्बन्धित थी इस कार्य मात्रा में शामिल 10.95 घन मीटर कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 608 पृष्ठ 27 पर दर्ज थी इन रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि ब्लाक संख्या 10 सी के सिवन में सेलफ से सम्बन्धित फोर्थ वर्ग के ग्राउन्ड फ्लोर पुनः फ्लोर की कार्य मात्रा की गणना 10.95 घन मीटर की गई थी। लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि ब्लाक 10सी के सिवन सेलफ से सम्बन्धित ग्राउन्ड फ्लोर से टोप फ्लोर तक की कार्य मात्रा की गणना मापन पुस्तिका संख्या 658 पृष्ठ 42 पर करके भुगतान किया गया था। अतः उक्त मामले में

ब्लाक 10 सी के किचन शेल्फ से सम्बन्धित फोर्म वर्क की कार्य मात्रा का ग्राउण्ड फ्लोर से द्वितीय फ्लोर तक दो बार भुगतान किया था जिसके फलस्वरूप संविदाकार को 10.95 वर्ग मीटर कार्य मात्रा के लिए 90 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से राशि 985.50 रुपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जावे।

(घ) छठे चालू बिल की मद संख्या 4/7 (बी)(डी०एस०आर०) मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 9.31 (बी) द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 249.84 घन मीटर का भुगतान 1725 रुपये प्रति घन ~~मीटर~~ की दर से मापन पुस्तिका संख्या 659 पृष्ठ 9 पर किया गया। उपरोक्त कार्य मात्रा में 95.215 घन मीटर कार्य मात्रा ब्लाक 10 सी से सम्बन्धित थी इस कार्य मात्रा में शामिल 0.567 घन मीटर कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियां मापन पुस्तिका संख्या 608 पृष्ठ 28 पर की थी। इन रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि ब्लाक 10 सी के किचन शेल्फ में आर०सी०सी० 1:2:4 से सम्बन्धित ग्राउण्ड प्रथम व द्वितीय फ्लोर के लिए 0.567 घन मी० कार्य मात्रा नापी गई थी। मापन पुस्तिका संख्या 658 पृष्ठ 48 पर ब्लाक 10 सी के किचन शेल्फ में आर०सी०सी० 1:2:4 से सम्बन्धित ग्राउण्ड फ्लोर से तृतीय फ्लोर तक की गणना करके मापन पुस्तिका 659 पृष्ठ 8 पर भुगतान किया गया था। अतः मापन पुस्तिका संख्या: 608 पृष्ठ 28 पर ब्लाक 10 सी के किचन शेल्फ में आर० सी०सी० 1:2:4 से सम्बन्धित प्रथम फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक 0.567 घन मी० कार्य मात्रा दूसरी बार नापी व भुगतान की गई थी जिसके फलस्वरूप संविदाकार को 0.567 घन मीटर कार्य मात्रा के लिए 1725.00 रुपये प्रति घन मीटर की दर से राशि 978.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया था।

(ङ) छठे चालू बिल की मद संख्या 24/47 सी(ii)(डी०एस०आर०) मानक दर अनुसूची भाग II 1993 की मद संख्या 9.70(ii)(ii) द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 13 मी० का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 659 पृष्ठ 29 पर 115 रुपये प्रति मीटर की दर

से किया गया । इस कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 608 पृष्ठ 73 पर दर्ज थी इन रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि गणना में गलती के कारण कार्य मात्रा 10 नं॰ के स्थान पर 13 नं॰ दर्शाई गई थी जिसके फलस्वरूप संविदाकार को 3 नं॰ कार्य मात्रा के लिए 115 रुपये प्रति की दर से राशि 345.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया था । जिसकी वसूली सुनिश्चित की जावे ।

(द॰) प्रथम चलत बिल की मद संख्या: 4/7 (डी॰एस॰आर॰) मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 9.31 (ए) के उपरावर्णित कार्य की कुल मात्रा 46386 घन मीटर का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 556 पृष्ठ 57 पर 1650 रुपये प्रति घन मीटर की दर से किया गया । इस कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि कालमों के टेपर्ड भाग में आर॰सी॰सी॰ 1:2:4 की कार्य मात्रा के मापन हेतु सूत्र (टेपर्ड भाग के आधारतल का क्षेत्रफल टेपर्ड भाग के ऊपरी तल का क्षेत्रफल भाग 2 x टेपर्ड भाग की ऊँचाई) का प्रयोग किया गया था । जबकि कालमों के टेपर्ड भाग में आर॰सी॰सी॰ 1:2:4 ~~[illegible]~~ की कार्य मात्रा के मापन के लिए सूत्र

ऊँ/3 (ए1 + ए2 + √ए1 x ए2) का प्रयोग होना वांछित था ।

इस प्रकार गलत सूत्र का प्रयोग करने पर संविदाकार को निम्न विवरणानुसार 7.194 घन मी॰ कार्य मात्रा का अधिक भुगतान किया गया ।

| ब्लाक नं. | नापन पुस्तिका नं० व पेज | | कालम | प$_1$ वर्गमी. | प$_2$ वर्गमी. | पव मीटर | देय मात्रा घनमी. | दत्त मात्रा घनमी. | अन्तर घनमी. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 बी | 579 | 54 | प$_2$प$_3$प$_4$प$_6$सी$_2$सी$_3$ सी$_4$सी$_6$सी$_7$ (9नं.) | 2.47 | 0.08 | ~~[illegible]~~ 0.55 | ~~[illegible]~~ 4.94 | 6.34 | 1.40 |
| | | | प$_1$सी$_1$ प$_7$प$_8$ (4नं.) | 1.62 | 0.08 | 0.40 | 1.09 | 1.366 | 0.276 |
| | | | सी$_4$सी$_5$ (2नं.) | 1.75 | 0.08 | 0.40 | 0.58 | 0.735 | 0.155 |
| | | | वी$_1$वी$_2$वी$_3$वी$_4$ वी$_5$वी$_6$वी$_7$ (7नं.) | 3.14 | 0.08 | 0.60 | 5.20 | 6.788 | 1.588 |
| ब्लाक 4ए | 578 | 15 | प$_1$प$_4$वी$_1$वी$_4$ (4नं.) | 1.95 | 0.08 | 0.35 | 1.13 | 1.426 | 0.296 |
| | | | प$_2$प$_3$वी$_2$वी$_3$ (4नं.) | 2.32 | 0.08 | 0.40 | 1.50 | 1.926 | 0.426 |
| 3ए | 578 | 15 | प$_1$प$_4$वी$_1$वी$_4$ (4नं.) | 1.95 | 0.08 | 0.35 | 1.13 | 1.426 | 0.296 |
| | | | प$_2$प$_3$वी$_2$वी$_3$ (4नं.) | 2.32 | 0.08 | 0.40 | 1.50 | 1.926 | 0.426 |
| 2वी | 578 | 49 | प$_1$प$_6$सी$_1$सी$_5$ (4नं.) | 1.49 | 0.08 | 0.30 | 0.76 | 0.949 | 0.189 |
| | | 50 | प$_2$प$_5$सी$_2$सी$_3$सी$_4$ (5नं.) | 2.02 | 0.08 | 0.40 | 1.66 | 2.112 | 0.452 |
| | | | प$_3$प$_4$ (2नं.) | 1.75 | 0.08 | 0.35 | 0.51 | 0.643 | .133 |
| | | | वी$_1$वी$_6$ (2नं.) | 2.02 | 0.08 | 0.40 | 0.66 | 1.650 | 0.990 |
| | | | वी$_3$वी$_6$ (2नं.) | 2.30 | 0.08 | 0.35 | 0.78 | 1.01 | 0.23 |
| | | | वी$_2$वी$_5$ (2नं.) | 2.63 | 0.08 | 0.55 | 1.16 | 1.497 | 0.337 |
| | | | | | | | | | 7.194 |

इस प्रकार संविदाकार को 7.194 घन मीटर कार्य मात्रा के लिए 1650 रुपये प्रति घन मीटर की दर से राशि 11870.10 रु० का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जावे।

अनुबन्ध की सामान्य स्पेसीफिकेशन शर्तों की 45 नं० शर्त के अनुसार उपरोक्त कार्य हेतु जारी सीमेन्ट की जो वसूली की गई थी उसमें खाली सीमेन्ट बैग की कीमत शामिल नहीं थी खाली सीमेन्ट बैग की 90 प्रतिशत भाग प्राधिकरण को वापस लौटाने आवश्यक थे उपरोक्त कार्य में छठे चलत बिल तक 4700 सीमेन्ट बैग उपयोग हुये थे जिनके 90 प्रतिशत भाग 4230 खाली सीमेन्ट बैग न तो संविदाकार द्वारा वापिस किये गये थे न ही 1 रुपये प्रति बैग की दर से राशि 4230 रुपये की वसूली की गई थी अतः 90 प्रतिशत खाली सीमेन्ट बैग की एक रुपये प्रति बैग की दर से राशि 4230 रुपये की वसूली सुनिश्चित की जावे।

पैरा 35. कार्य का नाम : आवासीय बस्ती ... के नजदीक सिन्धुर में कला ए.बी.सी के बीच में रोड और रिटेनिंग वाल से सम्बन्धित निर्माण कार्य करना।

ठेकेदार का नाम : श्री कुलदीप सिंह ठाकुर

अनुबन्ध संख्या: 14 वर्ष 1997-98

आकार संख्या: 20 ... 3/98 रु. 4,56,280.00 रुपये

---

उपरोक्त कार्य के प्रथम चलत बिल के दौरान किये गये कार्य का भुगतान संविदाकार को किया गया। इस कार्य ... [illegible] जांच करने पर राशि 10,941.40 रुपये के अधिक भुगतान के मामले उच्चाधिकारियों के ध्यान में पुनः उचित कार्यवाही हेतु लाये जाते हैं।

(क) प्रथम चलत बिल की मद संख्या: 3/3 ... मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 7.4 ... [illegible] की मात्रा 149.20 घन मीटर का भुगतान 60 रुपये प्रति घन मी० की दर से मापन पुस्तिका संख्या 661 पृष्ठ 49 पर किया गया।

इस कार्य मात्रा में शामिल 126•69 घन मीटर कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 661 पृष्ठ 17 से 22 पर दर्ज थी। इन रिकार्ड प्रविष्टियों की गणना की जाँच करने पर पाया गया कि कलाक 21 के साथ सड़क निर्माण के कार्य में सड़क के साथ दिवार बनाने के लिए खुदाई करते समय लम्बाई 19 मीटर दर्शा कर कार्य मात्रा की गणना निम्न प्रकार की गई थी :-

$$19 \times 0•85 \times \frac{0•50 + 0•55}{2} = 8•48 \text{ घन मी•}$$

जबकि मापन पुस्तिका संख्या 661 पृष्ठ 23 पर इस दिवार के कार्य में सी•सी• 1:6:12 से सम्बन्धित कार्य मात्रा की गणना 12 मीटर लम्बाई में निम्न प्रकार भुगतान हो गई थी।

$$12 \times 0•85 \times 0•15 = 1•53 \text{ घन मी•}$$

इसके अतिरिक्त इस दिवार के कार्य में आर•आर• मेसनरी के कार्य का भुगतान भी 12 मीटर लम्बाई के लिए ही किया गया था। अतः दिवार की खुदाई से सम्बन्धित कार्य मात्रा का निम्न विवरणानुसार 12 मीटर लम्बाई के लिए ही भुगतान किया जाना था।

$$12 \times 0•85 \times \frac{0•50 + 0•55}{2} = 5•35 \text{ घन मी•}$$

उपरोक्त विवरणानुसार ठेकेदार को 3•13 घन मी• (8•48 घन मी• — 5•35 घन मी•) कार्य मात्रा के लिए 80 रुपये प्रति घन मीटर की दर से रु• 250•40 का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जावे।

(च) प्रथम चलत बिल की मद संख्या 5/7 (सी•ओ•पी• मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 11•3) द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 259•28 घन मीटर का भुगतान 800 रुपये प्रति घन मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्या 661 पृष्ठ 51 पर किया गया था। इस कार्य मात्रा में शामिल 159•63 घन मीटर कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 661 पृष्ठ 27 पर की गई थी। इन रिकार्ड प्रविष्टियों की जाँच करने पर

पाया गया कि ब्लाक 2 के सामने पार्ट –2 में दिवार लगाने के लिए आर•आर•मैसनरी के कार्य मात्रा की गणना निम्न प्रकार गणना व भुगतान की गई थी ।

प्रथम स्टैप 9•90 x0•90x0•75 = 6•68 घन मी•

द्वितीय स्टैप 9•90x0•70x0•30 = 2•08 घन मी•

तृतीय स्टैप 9•90 x0•45x0•35 = 1•56 घन मी•

10•32 घन मी•

उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित प्राप्त ले आउट की मापन पुस्तिका संख्या 661 पृष्ठ 20 पर दर्शाई गई थी के अनुसार ब्लाक संख्या 2 की के सामने दिवार के कार्य में आर•आर• मैसनरी के कार्य से सम्बन्धित कार्य मात्रा निम्न प्रकार भुगतान की जानी थी ।

प्रथम स्टैप 9•90 x0•90 x0•65 = 5•79 घन मी•

द्वितीय स्टैप 9•90 x0•70x 0•30 = 2•08 घन मी•

तृतीय स्टैप 9•90x 0•45 x0•35 = 1•56 घन मी•

9•43 घन मी•

उपरोक्त विवरणानुसार संविदाकार को 0•89 घन मीटर (10•32 घन मीटर –9•43 घन मीटर) कार्य मात्रा का 800 रु• प्रति घन मीटर की दर से राशि 712•00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जावे ।

(ग) उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित कुल कार्य मात्रा 259•28 घन मीटर कार्य मात्रा में शामिल 47•45 घन मी• कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियां मापन पुस्तिका संख्या 661 पृष्ठ 23 पर दर्ज थी का अवलोकन करने पर पाया गया कि ब्लाक 13 की के बराबर दिवार लगाने के लिए आर•आर•मैसनरी के कार्य मात्रा की गणना निम्न प्रकार की गई थी ।

प्रथम स्टैप 8•50 x0•90x1•00 = 7•65 घन मी•

दूसरा स्टैप 8•50x0•60 x0•65 = 3•31 घन मी•

10•96 घन मी• ....12•

उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित प्रति सेक्शन जो मापन पुस्तिका संख्या 661 पृष्ठ 21 पर दर्शाई गई थी के अनुसार ब्लाक 13 की के बराबर विचार लाने के लिए आर•आर•मेसनरी का कार्य निम्न प्रकार नपा व भुगतान किया जाना था ।

प्रथम स्टेप 8•50 x0•90 x1•00 = 7•65 घन मी•
दूसरा स्टेप 8•50 x0•45 x0•65 = 2•48 घन मी•

10•13 घन मीटर

उपरोक्त विवरणानुसार संविदाकार को 0•83 घन मीटर (10•96 घन मी• -10•13 घन मी•) कार्य मात्रा के लिए 800 रुपये प्रति घन मीटर की दर से राशि 664•00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जावे ।

(4) प्रथम चलत बिल की मद संख्या 2/2 (विशिष्ट मानक दर अनुसूची 1987 की मद संख्या 7/6) द्वारा वाशिंग कार्य की कुल मात्रा 660•09 घन मी• का भुगतान 75 रुपये प्रति घन मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्या 661 पृष्ठ 49 पर किया गया । इस कार्य मात्रा में 117•90 घन मीटर व 249•32 घन मी• कार्य मात्रा क्रमशः मापन पुस्तिका संख्या 661 पृष्ठ 43 व 44 से सम्मिलित की गई थी । इस कार्य मात्रा से सम्बन्धित रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि कटिंग के कार्य से सम्बन्धित 249•32 घन मी• कार्य मात्रा जो मापन पुस्तिका 661 पृष्ठ 44 से शामिल की गई थी में 117•90 घन मी• कार्य मात्रा भी शामिल थी । 117•90 घन मी• कार्य जो मापन पुस्तिका संख्या 661 पृष्ठ 43 से शामिल की गई थी को कुल कार्य मात्रा में अलग से शामिल नहीं किया जाना था अतः 117•90 घन मी• कार्य मात्रा को एक बार 249•32 घन मी• कार्य मात्रा में शामिल करके तथा दूसरी बार अलग से प्रविष्टि करके दो बार भुगतान किया गया था जिसके फलस्वरूप संविदाकार को 117•90 घन मीटर कार्य मात्रा के लिए 75 रुपये प्रति घन मीटर की दर से राशि 8842•50 रु•

का व कम भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जावे ।

(उ•) प्रश्न काल [illegible] के दौरान 525 सीमेन्ट की बोरियाँ की प्राप्ति दर्शाई गई जो अनुबन्ध की सामान्य स्पेसिफिकेशन शर्तों की शर्त 48 के अनुसार 90 प्रतिशत खाली बोरियों की वसूली की जानी है [illegible] खाली बोरा की दर से राशि 472•50 रुपये बनती थी । सीमेन्ट की खाली बोरियों की वसूली नहीं की गई थी । अतः 472•50 रु• की वसूली सुनिश्चित की जावे ।

36• धरियावद उपखण्ड के स्टॉक से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर निम्न अनियमितताएं पाई गई ।

(क) वर्ष 1997-98 के दौरान धरियावद उपखण्ड के स्टॉक सस्पेन्स खाते में दिनांक 31•3•98 को शेष (-) 602072•00 रुपये दर्शाया गया था । स्टॉक सस्पेन्स खाते में किसी भी स्थिति में शून्य से कम शेष नहीं दर्शाया जा सकता । शून्य से कम शेष दर्शाया जाना एक गम्भीर अनियमितता है । वास्तव में स्टॉक सस्पेन्स खाते में निम्न विवरणानुसार राशि 3,82,517•00 रुपये का स्टॉक शेष था ।

<u>बिन कार्डों के अनुसार वास्तविक शेष का विवरण</u>

| बिन कार्ड सं• | सामग्री का विवरण | मात्रा | दर | राशि (रु•) |
|---|---|---|---|---|
| 142 | सीमेन्ट | 684 बैग | 144 प्रति बैग | 98496•00 |
| 141 | सरिया 8 एमएम | 2•252 एमटी | 17435 प्रति मि•टन | 39264•00 |
| 122 | सरिया 10 एमएम | 0•909 एमटी | -"- | 15848•00 |
| 123 | सरिया 12 एमएम | 1•347 एमटी | -"- | 23485•00 |
| 130 | सरिया 16 एमएम | -- | -- | -- |
| 129 | सरिया 20 एमएम | 2•728 एमटी | -"- | 47563•00 |
| 126 | सरिया 25 एमएम | 2•525 एमटी | -"- | 44023•00 |
| 120 | जी•आई•पाईप [illegible] 100 एम | 1•538 एमटी | 33660•00 | 51769•00 |
| 135 | जी•आई•पाईप [illegible] | 1•844 एमटी | 33660•00 | 62069•00 |
| | | | यो• | 3,82,517•00 |

अतः वास्तविक स्टॉक व स्टॉक सस्पेन्स खाते दर्शाये गये स्टॉक के अन्तर के कारणों की विभागीय तौर पर जाँच पड़ताल करके की गई कार्यवाही से आगामी लेखा परीक्षा के दौरान अवगत करवाया जावे। यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

(ख) इन्डेन्ट संख्या 204/509 माह 5/97 दिनांक 28.5.97 को स्टोर से 150 बैग सीमेन्ट जारी किया गया था। इस सामग्री की मापन पुस्तिका व संविदाकार के खाते में प्रविष्टि कर ली गई थी तथा संविदाकार से सामग्री के मूल्य की वसूली भी कर ली गई थी लेकिन इस इन्डेन्ट का वर्ष 1997-98 के दौरान लेखाओं में लेखांकन नहीं किया गया था लेखांकन न किये जाने के कारण इस सामग्री के मूल्य से स्टॉक सस्पेन्स खाते में अन्तिम शेष अधिक दर्शाया गया था अतः उपरोक्त इन्डेन्ट का वर्ष 1997-98 के दौरान समायोजन न करने के बारे स्पष्टीकरण के अतिरिक्त इस इन्डेन्ट का समायोजन करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जावे।

(ग) <u>वाउचर संख्या 29 दिनांक 28.5.97 मु0 75587.00 रूपये</u>

उपरोक्त वाउचर द्वारा हि0प्र0 नागरिक आपूर्ति निगम शिमला को 27 मिट्रिक टन सीमेन्ट जारी करने हेतु प्रोफार्मा इन्वाईस के आधार पर राशि 75437.00 रूपये का भुगतान किया गया था तथा 150 रूपये का बैंक ड्राफ्ट कमीशन का व्यय किया गया था यह कुल व्यय 75587.00 रूपये स्टॉक सस्पेन्स खाते को डेबिट किया गया था जबकि प्रोफार्मा इन्वाईस के आधार पर किया गया भुगतान सम्बन्धित फर्म के मिश्रित अग्रिम खाते को डेबिट किया जाना था तथा वास्तविक मूल्य के सम्बन्धित बिल की प्राप्ति पर अग्रिम भुगतान का समायोजन किया जाना था। उपरोक्त भुगतान से विभाग प्राप्त 27 मिट्रिक टन सीमेन्ट का मूल्य हि0प्र0 नागरिक आपूर्ति निगम से जारी सामग्री की सूची के अनुसार मु0 70405.20 रूपये था अतः उपरोक्त मामले में हि0प्र0 नागरिक आपूर्ति निगम को

27 मिट्रिक टन सीमेन्ट जारी करने हेतु राशि 5031.80 रुपये (75437.00-70405.20) का अधिक भुगतान किया गया था। अतः इस राशि की वसूली करके अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा के दौरान दिखाई जावे।

(घ) रु0 4021.00 रुपये का अधिक भुगतान :-

वाउचर संख्या 13 दिनांक 18.3.97 द्वारा रु0 1,25,728.00 रुपये का भुगतान हि0प्र0 नागरिक आपूर्ति निगम को 45 मिट्रिक टन सीमेन्ट जारी करने हेतु अग्रिम भुगतान किया गया था इस भुगतान के विरुद्ध हि0प्र0 नागरिक आपूर्ति निगम की वर्ष 1996-97 की सामग्री जारी करने की विवरणी के अनुसार रु0 135230.00 रुपये का 50 मिट्रिक टन सीमेन्ट प्राप्त हुआ था। इस प्राप्ति के विरुद्ध हि0प्र0 नागरिक आपूर्ति निगम को रु0 9502.00 रुपये (135230.00-125728) का भुगतान किया जाना था तथा यह राशि हि0प्र0 नागरिक आपूर्ति निगम के खाते को क्रेडिट की जानी थी क्योंकि यह राशि सामग्री की प्राप्ति पर हि0प्र0 नागरिक आपूर्ति निगम के अग्रिम खाते को समायोजन वाउचर संख्या 2 वर्ष 1996-97 द्वारा क्रेडिट की गई थी। जबकि उपरोक्त बकाया भुगतान के विरुद्ध वर्ष 1997-98 के दौरान वाउचर संख्या 30 दिनांक 28.5.97 द्वारा हि0प्र0 नागरिक आपूर्ति निगम को रु0 13523.00 रुपये का भुगतान किया गया था तथा यह व्यय स्टॉक सस्पैन्स खाते को डैबिट किया गया था अतः उपरोक्त मामले में हि0प्र0 नागरिक आपूर्ति निगम को रु0 4021.00 रुपये (13523.00-9502.00) का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जावे या भुगतान की गई राशियों का ठीक वर्गीकरण करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जावे।

पैरा 37. उप मण्डल धर्मशाला के कार्यालय में वर्ष 1997-98 के दौरान वाहन संख्या एच.पी.-51-0958 की लॉग बुक की जाँच करने पर निम्न अनियमितताएँ पाई गई।

(क) यह वाहन उप मण्डल धर्मशाला में सहायक अभियन्ता के पास था। सहायक अभियन्ता के पास सरकारी वाहन होने पर उनके वेतन से 150 रुपये प्रति माह सम्बन्धित वाहन के सम्बन्ध में वसूल किये जाने थे जबकि वर्ष 1997-98 के दौरान धर्मशाला उप मण्डल में कार्यरत सहायक अभियन्ता के वेतन से 150 रुपये प्रति माह वसूली नहीं की गई थी। अतः उपरोक्त मामले में सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के वेतन से वर्ष 1997-98 के लिए रु० 1800 रुपये की वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जावे।

(ख) यह वाहन महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा जीप, संख्या एच.पी.-51-0958 माह जनवरी 97 में क्रय की गई है तथा इसमें डीजल प्रयोग होता है। इस वाहन की वाउचर दरें माह मार्च 97 से मार्च 98 तक समायोजन वाउचर होता। वर्ष 1997-98 द्वारा समायोजित की गई थी जिसकी जाँच करने पर पाया गया कि माह 3/97 से 7/97 तक डीजल की खपत 7.50 किलोमीटर प्रति लीटर दर्शाई गई थी तथा माह 8/97 से 3/98 के दौरान डीजल की खपत 5½ किलोमीटर प्रति लीटर दर्शाई गई थी। वाहन की खपत कम दर्शाने का कोई औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया था वाहन में डीजल की खपत अधिक दर्शाये जाने के कारण 491.81 लीटर डीजल का दुर्विनियोजन किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

| माह | वाहन द्वारा जितनी यात्रा दर्शाई गई लीटर | जितनी खपत दर्शाई गई लीटर | 7.50 कि.मी. प्रति लीटर की दर से खपत लीटर | अधिक दर्शाई गई खपत लीटर |
|---|---|---|---|---|
| 8/97 | 1218 | 221.45 | 162.40 | 59.05 |
| 9/97 | 2628 | 477.82 | 350.40 | 127.42 |
| 10/97 | 889 | 161.63 | 118.53 | 43.10 |
| 11/97 | 1153 | 209.63 | 153.73 | 55.90 |
| 12/97 | 684 | 124.36 | 91.20 | 33.16 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1/98 | 1170 | 212•72 | 156•00 | 56•72 |
| 2/98 | 1226 | 222•90 | 163•46 | 59•44 |
| 3/98 | 1176 | 213•82 | 156•80 | 57•02 |
| | | | जोड़ | 491•81 |

डीजल की मात्रा अधिक दर्शाये जाने के कारण गाड़ी की टंकी में भी समय-समय पर डीजल अधिक दर्शाया गया था। जिसका विवरण अगले पैरे में दिया गया है। उपरोक्त मामले में अधिक दर्शाई गई मात्रा 491•81 लीटर डीजल की 10•17 रुपये प्रति लीटर की दर से राशि 5001•70 रुपये की वसूली सुनिश्चित की जाये।

[ग] वाहन की लाग बुक का अवलोकन करने पर पाया गया कि वाहन की डीजल की टंकी की क्षमता 50 लीटर थी लेकिन डीजल डालते समय वाहन की टंकी में टंकी की क्षमता से भी अधिक डीजल शेष दर्शाया गया था जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है।

| | माह के अन्त में जिस तिथि को डीजल डाला गया | कितना डीजल डाला गया लीटर | डीजल डालने से माह के अन्त में वाहन का प्रयोग कि•मी• | डीजल डालने के पश्चात माह के अन्त तक प्रयोग वाहन पर 5½ कि•मी• प्रति ली•की दर से मात्रा लीटर | माह के अन्त में वाहन की टंकी में शेष दर्शाया गया डीजल लीटर" | माह के अन्त में डीजल डालने पर टंकी में कुल डीजल [3+6] | डीजल डालने पर टंकी में टंकी की क्षमता से अधिक दर्शाया गया डीजल लीटर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2• | 3• | 4• | 5• | 6• | 7• | 8• |
| 97 | 28•8•97 | 46 | 172 | 31•27 | 49•34 | 76•62 | 26•62 |
| 97 | 25•11•97 | 46 | 170 | 30•90 | 54•74 | 85•5 | 35•54 |
| 97 | 23•12•97 | 44 | 178 | 32•36 | 63•38 | 95•74 | 45•74 |
| | 23•1•98 | 45 | 144 | 26•18 | 64•65 | 90•83 | 40•83 |
| | 24•2•98 | 47 | 82 | 14•90 | 45•74 | 60•64 | 10•64 |
| | 25•3•98 | 33•50 | 188 | 34•18 | 20•42 | 54•60 | 4•60 |

उपरोक्त विवरणानुसार जिस तिथि को वाहन की टैंकी में डीजल डाला गया था उस दिन वाहन की टैंकी में टैंकी की क्षमता 50 लीटर से अधिक डीजल हो गया था । वाहन की टैंकी की क्षमता से ज्यादा टैंकी में डीजल दर्शाया जाना यह सिद्ध करता है कि वाहन की औसत अधिक थी लेकिन औसत कम दर्शाकर डीजल का दुर्विनियोजन किया गया था उपरोक्त मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाकर आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है ।

38. राशि 3,58,781.00 रुपये की सामग्री का लेखांकन न किया जाना :

स्टोक से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि नगर विकास प्राधिकरण मण्डल नं. 2 शिमला से धर्मशाला उप-मण्डल के लिए स्टोर से राशि 3,58,781.00 रुपये की सामग्री जारी की गई थी । इस राशि से सम्बन्धित प्रविष्टि लेखाओं में नहीं की गई थी लेखाओं में प्राप्त स्टोक का लेखांकन न किये जाने के कारण वर्ष 1997-98 के दौरान दिनांक 31.3.98 को उपरोक्त राशि से लेखाओं में स्टोक सस्पेन्स खाते में शेष कम दर्शाया गया था । जिन इन्डैन्टों से सामग्री प्राप्त की गई थी का विवरण निम्न प्रकार से है ।

[illegible]

........133.

| क्र.सं. | इन्डेन्ट नं. व दिनांक | जी.आर.नं. | प्राप्ति की तिथि | सामग्री का विवरण | मात्रा | जारी करने की दर | राशि | स्टोरेज चार्जेज | कुल राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ए.आर./एम.डी.पी./ 223/529 दि. 27.7.97 | 478[illegible] | 27.7.97 | सी.जी.आई.सीट 10 फुट | 3.00 एम.टी. | 27637/- | 82911/- | 2347/- | 119703/- |
| | | | | सी.जी.आई.सीट 8 फुट | 1.250 एम.टी. | 27556/- | 34445/- | | |
| 2. | ए.आर/एम.डी.पी./ 266/1196 दि. 3.11.97 | 4787 | 3.11.97 | सी.जी.आई.सीट 10 फुट | 3.00 एम.टी. | 33660/- | 100980/- | 4376/- | 223166/- |
| | | | | सी.जी.आई.सीट 8 फुट | 3.50 एम.टी. | 33660/- | 117810/- | | |
| 3. | ए.आर/विशेष केम्प/ .1 दि. 7.6.97 | टी एण्ड पी रजिस्टर पृष्ठ 6 | | हेलो लाईट | 1 नं. | 15600/- | 15600/- | 312/- | 15912/- |
| | | | | | | | | | 3,58,781.00 |

का.पृ....... 134.

इसके अतिरिक्त सामग्री की ढुलाई {Carriage} से सम्बन्धित व्यय भी स्टॉक सस्पेन्स खाते के डेबिट नहीं किया गया था । अतः उपरोक्त मामले में प्राप्त सामग्री का लेखांकन न करने के बारे में स्पष्टीकरण के अतिरिक्त प्राप्त सामग्री का लेखांकन करके अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा के दौरान दिखाई जाये ।

39. वर्ष 1997-98 के दौरान कर्मशाला उप मण्डल द्वारा किये गये निर्माण कार्यों पर विभागीय चार्जेज नहीं लगाये गये थे जबकि अन्य निर्माण मण्डलों द्वारा वर्ष 1997-98 के दौरान किये गये निर्माण कार्यों पर विभागीय चार्जेज {Departmental charges} लगाये गये थे । अतः निर्माण कार्यों पर विभागीय चार्जेज न लगाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा वर्ष 1997-98 के निर्माण कार्यों पर विभागीय चार्जेज डेबिट किये जाने सुनिश्चित किया जाये ।

40. वाउचर सं. 22 दिनांक 12.9.97 मु. 135.00 रुपये
वाउचर संख्या 22 दिनांक 10.3.98 मु. 207.00 रुपये

उपरोक्त वाउचरों द्वारा स्टोर में बिजली के बिल का भुगतान दर्शाया गया था भुगतान वाउचरों का अवलोकन करने पर पाया गया कि बिजली के बिल में मीटर नं. जी.एस.216 ए.ई.ई.पी. डब्ल्यू डी के नाम से था । जिससे प्रतीत होता है कि उपरोक्त वाउचरों द्वारा पी डब्ल्यू डी के बिजली के बिल का भुगतान किया गया था अतः पी.डब्ल्यू डी के बिजली के बिल का भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये । इसके अतिरिक्त उपरोक्त बिजली के बिलों से सम्बन्धित व्यय आवासीय काम्पलेक्स सिरपुर को डेबिट किया गया था जबकि स्टोर से सम्बन्धित बिजली के बिलों से सम्बन्धित व्यय स्टॉक स्टोरेज चार्जेज को डेबिट किया जाना चाहिए था ।

41. गलत वर्गीकरण करना :

{क} लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि स्टॉक में प्राप्त सामग्री की उतराई से सम्बन्धित व्यय को स्टॉक स्टोरेज खाते को डेबिट किया गया था जबकि यह व्यय स्टॉक सस्पेन्स खाते को डेबिट किया जाना चाहिए था । गलत वर्गीकरण के कुछ उदाहरण

...... 135.

नीचे दिये है । अतः इस प्रकार के समस्त व्यय के गलत वर्गीकरण की राशि को अपने स्तर पर गणना करके लेखों में ठीक करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जावे ।

| वाउ.सं. | माह | राशि (रु.) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 16 | 9/97 | 100.00 | सीमित की चौकियों की उतराई । |
| 17 | 9/97 | 360.00 | -"- |
| 18 | 9/97 | 360.00 | -"- |
| 23 | 3/98 | 400.00 | -"- |
| 24 | 3/98 | 400.00 | -"- |
| 38 | 3/98 | 200.00 | -"- |
| 39 | 3/98 | 400.00 | -"- |

(ख) लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि स्टोर में कार्यरत दिन व रात्री के चौकीदारों के वेतन का खर्चा आवासीय कम्पलेक्स सिरपुर धर्मशाला के मदों को डेबिट किया गया था जबकि स्टोर के चौकीदार के वेतन से सम्बन्धित व्यय स्टाक स्टोरेज चार्जेज को डेबिट किया जाना था गलत वर्गीकरण के कुछ उदाहरण नीचे दिये गये है । अतः इस प्रकार के अन्य मामलों में गलत वर्गीकरण की राशि की अपने स्तर पर गणना करके लेखों में सुधार करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जावे ।

| वा.सं. | माह | राशि (रुपये) |
|---|---|---|
| 11 | 9/97 | 2836.00 |
| 9 | 3/98 | 2333.00 |

42. नगर विकास प्राधिकरण मुख्यप्रशासन के कार्यालय आदेश संख्या: एफ.पी.एन.वी.पी-प्रशासन(ए) डिप्यूटी/96-4751-56 दिनांक 13.8.96 द्वारा अधिशाषी अभियन्ता नगर विकास प्राधिकरण उप मण्डल धर्मशाला को आहरण एवम् वितरण अधिकारी का कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया था पर भी आदेश दिये थे कि प्रत्येक वाउचर को ... अधिशाषी अभियन्ता ... द्वारा ... धर्मशाला द्वारा पूर्व अंकेक्षण व भुगतान हेतु पारित करने के पश्चात भुगतान किया

जाना था । लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 1997-98 के दौरान अधिशासी अभियन्ता द्वारा वाउचरों को पूर्व ऑडिट करके भुगतान हेतु पारित नहीं किया गया था । तत्पश्चात अभियन्ता द्वारा अपने स्तर पर वाउचरों को भुगतान हेतु पारित करके भुगतान किया गया था कुछ वाउचरों को अधिशासी अभियन्ता द्वारा काउंटर साईन किया गया था अतः सक्षम अधिकारी द्वारा वाउचरों को भुगतान हेतु पारित किये बिना भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

पैरा 43. <u>समायोजन वाउचर संख्या 8 वर्ष 1997-98</u>

उपरोक्त वाउचर द्वारा 17,40,761.00रुपये बैंक खाते को डेबिट तथा बैंक ओवर ड्राफ्ट खाते को क्रेडिट किया गया था । जबकि वास्तव में इस तरह का कोई समायोजन वाउचर नहीं बनाया जाना था ।

वर्ष 1996-97 के दौरान धर्मशाला उप मण्डल की रोकड़ बही में 1784520.00रुपये की प्राप्ति दर्शाई गई थी जबकि वास्तव में इस राशि की कोई प्राप्ति नहीं हुई थी इस गलती का सुधार करने के लिए रोकड़ बही में भुगतान की तरफ इस राशि को प्रविष्टि करके सुधार किया जाना था । लेकिन उपरोक्त गलती का सुधार करते समय 17,40,761.00रुपये से उपरोक्त वाउचर द्वारा बैंक खाते को डेबिट तथा ओवर ड्राफ्ट खाते को क्रेडिट किया गया था तथा समायोजन वाउचर संख्या 8 वर्ष 1997-98 द्वारा राशि 43759.00 (1784520.00-1740761.00)रुपये से बैंक खाते को डेबिट तथा इम्परेस्ट खाते को क्रेडिट किया गया था जोकि उचित नहीं था । उपरोक्त वाउचर द्वारा गलत समायोजन करने से तलपट में भी गलत मदें दर्शाई गई थी अतः इन प्रविष्टियों का सुधार करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये ।

पैरा 44. <u>सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना बैंक से ऋण लिया जाना:</u>

बैंक खाता संख्या: 2562 के अनुसार बैंक खाते में 31.3.98 को (-) 1105141.00रुपये शेष था जिसके अनुसार

उपरोक्त खाते से कुल 1105141.00रुपये सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना ऋण के रूप में लिया गया था वर्ष 1997-98 के दौरान बैंक से ओवरड्राफ्ट के रूप में लिए गये ऋण पर राशि 210252.00रुपये ब्याज का भुगतान किया गया था । अतः सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना बैंक से ओवरड्राफ्ट के रूप में ऋण लिए जाने के सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये तथा ऋण के ऊपर ब्याज के भुगतान करने से हुई हानि की सम्बन्धित अधिकारी से वसूली सुनिश्चित की जाये ।

पैरा 45. धर्मशाला उप मण्डल के तलपट की जाँच करने पर निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गई ।

(क) मद संख्या 1 में आदि शेष निम्न प्रकार दर्शाया गया था ।

(1) हस्तगत शेष 851.00रुपये

(2) सावधि जमा खाते में राशि 19,82,800.00रुपये

(3) बैंक खाता संख्या:

2062 में 1.4.97 को शेष 43,759.00 रुपये

जबकि रोकड़ बही के अनुसार 1.4.97 को आदि शेष निम्न प्रकार था ।

(1) बैंक खाता संख्या 2062 में

1.4.97 को शेष (-) 17,40,761.00

कुल आदि शेष(-) 17,39,210.00रु.

उपरोक्त सावधि जमा खाते में जमा राशि 19,82,800.00रुपये सावधि जमा खाते में दर्शाये जाने थे ।

(ख) मद संख्या 4 रोकड़ खाते में 9,60,091.00रुपये जमा दर्शाये गये हैं जबकि रोकड़ खाते से सम्बन्धित राशि तलपट में नहीं दर्शाई जानी थी ।

(ग) मद संख्या 5 :- बैंक खाते में 27,41,611.00रुपये दर्शाये गये हैं जबकि इस राशि में 9,60,091.00रुपये बैंक खाते से सम्बन्धित है तथा कुल 17,84,520.00रुपये वर्ष 96-97 के दौरान रोकड़ बही में की गई गलत प्रविष्टि के है । बैंक खाते से सम्बन्धित

9,60,091.00रुपये तलपट में नहीं दर्शाये जाने थे । तथा रोकड़ बही में की गई गलत प्रविष्टि का सुधार रोकड़ बही में ही किया जाना था ।

(ग) मद संख्या 6 में मुख्यालय के इम्परेस्ट खाते में 43759.00रु० जमा तथा मद संख्या 14 में संस्पेन्स खाते में रु० 43759.00रु० डैबिट दर्शाये गये थे । यह कोई भी राशि तलपट में नहीं दर्शाई जानी थी । वास्तव में यह राशि वर्ष 1996-97 के तलपट के अन्तिम शेष में गलत दर्शाई गई थी ।

पैरा 46. रु० 1,22,853.00रुपये की अग्रिम भुगतान की गई राशि की वसूली न करना ।

---

नगर विकास प्राधिकरण उपमण्डल धर्मशाला द्वारा समय-समय पर सीमेन्ट जारी करने हेतु हि० प्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को भुगतान किया गया था, कुछ मामलों में अग्रिम भुगतान की गई राशि के विरुद्ध कम मूल्य की सामग्री जारी की गई थी बकाया राशि की न तो हि० प्र० नागरिक आपूर्ति निगम से सामग्री प्राप्त हुई थी न ही यह राशि वापिस नगर विकास प्राधिकरण में वापिस जमा की गई थी इसके अतिरिक्त उप मण्डल धर्मशाला द्वारा भी बकाया राशियों की वसूली हेतु कोई उचित कदम नहीं उठाये गये थे । निम्न विवरणानुसार वर्ष 1996-97 व 1997-98 के दौरान रु० 1,22,853.00रुपये अग्रिम भुगतान राशियों की व बकाया राशि प्राप्त करने की थी जिसे प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान हि० प्र० नागरिक आपूर्ति निगम शिमला को 900 बोरी सिमेन्ट जारी करने हेतु दिनांक 28.2.97 को राशि 1,25,728.00रुपये का अग्रिम भुगतान किया गया था। इस भुगतान के विरुद्ध जी.आर.संख्या 6768 व 6789 दिनांक 15.3.97 व 17.3.97 द्वारा 360 बै० प्रत्येक जी.आर. की दर से कुल 720 बैग सीमेन्ट के राशि 1,00,584.00रुपये के प्राप्त हुये थे बकाया राशि 25144.00रुपये (125728.00 - 100584.00) न तो आज तक वापिस प्राप्त किये गये थे न ही

इस राशि के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से सामग्री प्राप्त हुई थी ।

(ग) इसी प्रकार निम्न विवरणानुसार 1997-98 के दौरान अग्रिम भुगतान की गई राशि के विरुद्ध प्राप्त सामग्री के विवरण के अनुसार बकाया अग्रिम भुगतान की गई राशि 97,709.00रुपये के विरुद्ध न तो हि0 प्र0 राज्य आपूर्ति निगम शिमला से सामग्री प्राप्त हुई थी और न ही इस राशि को हि0 प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से वापिस प्राप्त किया गया था ।

| भुगतान की तिथि | भुगतान की गई राशि (रु.) | जितनी सामग्री प्राप्त करने हेतु भुगतान किया गया । | जितनी सामग्री प्राप्त हुई | प्राप्त सामग्री की राशि | बकाया राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| | | एम. टी. | एम. टी. | | |
| 15.7.97 | 125728.00 | 45 | 45 | 122742.00 | 2986.00 |
| 11.8.97 | 125728.00 | 45 | 45 | 122742.00 | 2986.00 |
| 28.8.97 | 125728.00 | 45 | 45 | 122742.00 | 2986.00 |
| 22.7.97 | 125728.00 | 45 | 45 | 122742.00 | 2986.00 |
| 10.8.97 | 125728.00 | 45 | 45 | 122742.00 | 2986.00 |
| 17.9.97 | 125728.00 | 45 | 40 | 109104.00 | 16624.00 |
| 27.10.97 | 111758.00 | 40 | 36 | 102679.00 | 9079.00 |
| 1.12.97 | 129922.00 | 45 | 40 | 110696.00 | 19226.00 |
| 22.1.98 | 114088.00 | 40 | 40 | 110696.00 | 3392.00 |
| 24.2.98 | 128349.00 | 45 | 40 | 110696.00 | 17653.00 |
| 20.3.98 | 99827.00 | 35 | 30 | 83022.00 | 16805.00 |
| | | | | जोड़ | 97,907.00 |

पैरा 47. हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण धर्मशाला उपमण्डल के स्टोक का सक्षम अधिकारी द्वारा वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था अतः स्टोक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करने के कारणों बारे स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य में स्टोक का प्रतिवर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

पैरा 40. कार्य का नाम : आवासीय बस्ती डी.सी.एस. फेस-I में लाईन नं. 1 में रेस्ट हाउस में विद्युतीकरण का कार्य करना

संविदाकार का नाम: मै. भारत इलैक्ट्रिकल्स [illegible] ।

अनुबन्ध संख्या: 36 वर्ष 1995-96 ।

वाउचर संख्या: 20 माह 9/97 रु0 1,34,539रुपये

---

उपरोक्त वाउचर द्वारा कार्य के दूसरे व अन्तिम बिल के दौरान किये गये कार्य के लिए संविदाकार को भुगतान किया गया । बिल की मद संख्या 14/16 (3)(अ)(टाईप्स)(दि0यू0 मानक दर अनुसूची 1998 भाग की मद संख्या 1903) द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 4 नं. का भुगतान संविदाकार को 730.00रुपये प्रति [illegible] मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्या 4 पृष्ठ 7 पर किया गया था । उपरोक्त बदली गई मद का निर्धारण कार्य अनुबन्ध की क्लाज 12(ii) के अनुसार निम्न प्रकार निर्धारित होना था ।

| दि.यू. मानक दर अनुसूची 1995 की मद संख्या: | मानक दर | अनुबन्धित दरें | अनुबन्ध मद सं. |
|---|---|---|---|
| 1901 | 292.00 | 400-2% =392.00 | 16(ii) |
| 1902 | 332.0 | 600-2% =588.00 | 16(ii) |
| योग | 624.00 | 980.00 | |

प्रतिशतता :- $\frac{980-624 \times 100}{624} = 57.05\%$

| | |
|---|---|
| बदली गई कार्य मद (दि0यू0 मानक दर अनुसूची 1995 की मद संख्या 1903) की मानक दर | 417.00रु. |
| + अनुबन्धित (Similar) कार्य की प्रतिशतता (57.05 प्रतिशत) | 237.89 रु. |
| योग | 654.89रु. |

इस प्रकार संविदाकार को बदली गई मद, एम.सी.बी. डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 4 मार्ग के स्थान पर एम.सी.बी. डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 12 मार्ग के लगाने हेतु 654.89रुपये प्रति बोर्ड की दर से भुगतान किया जाना था जबकि उपरोक्त कार्य बिल में इस मद के लिए 730.00रुपये प्रति बोर्ड की दर से भुगतान किया गया था । जोकि 75.11रुपये (730.00रुपये-654.89रु.) प्रति बोर्ड अधिक

......14।

था । अतः उपरोक्त मामले में संविदाकार को 4 नं. एम.सी.बी. डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की कार्य मात्रा के लिए 83.11रुपये प्रति बोर्ड की दर से राशि 332.44रुपये का अधिक भुगतान किया गया था । अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करके अनुपालना का सत्यापन्न आगामी अंकेक्षण में करवाया जाये ।

पैरा 49. कार्य का नाम : व्यावसायिक परिसर क्युम्पटी जोनल सेन्टर में ब्लाक संख्या । टाईप [बी] ब्लाक नं. 2 3,4,व 5 टाईप [ए] और ब्लाक नं. डी-1, डी-2,ई-1,ई-2 व ई-3 में आन्तरिक विद्युतीकरण का कार्य करना ।

संविदाकार का नाम : श्री इन्द्रजीत कालरा

अनुबन्ध संख्या: 2 वर्ष 1990-91

---

उपरोक्त कार्य का आवंटन श्री इन्द्रजीत कालरा को 20,25,620.00रुपये पर किया गया था । कार्य के प्रथम चालू बिल से बारहवें चालू बिल तक किये गये कार्य की अंकेक्षण के दौरान विस्तृत जांच करने पर संविदाकार को कुल 2555.00रुपये के अधिक भुगतान के मामले प्रकाश में आये जिनका विवरण निम्न प्रकार है ।

[क] चौथे चालू बिल की मद संख्या 1/[3] द्वारा वर्णित कार्य की कुल मात्रा 574 नं. का भुगतान 160 रुपये पार्ट दर [पूर्ण दर 225 रुपये से ग्यारवें चालू बिल में भुगतान किया गया था ] से मापन पुस्तिका संख्या 156 पृष्ठ 72 पर किया गया । उपरोक्त कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 156 पृष्ठ 63 से 69 पर की गई थी रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि बिजली के लाईन्स से सम्बन्धित लौंग प्वाईंट का भुगतान करते समय ब्लाक बी एक की कार्य मात्रा की गणना करते समय जोड़ों में गलती के कारण मापन पुस्तिका 156 के पृष्ठ 65 पर कार्य मात्रा 65 नं. के स्थान पर 75 नं. दर्शाई गई थी जिसके फलस्वरूप संविदाकार को 10 नं. कार्य मात्रा के लिए 225 रुपये प्रति प्वाईंट की दर से राशि 2250/-रुपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाये ।

[ख] आठवें चालू बिल की मद संख्या: 7/10 द्वारा मेन बोर्ड

से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक 2×10 वर्ग मी. मी. तार लगाने से सम्बन्धित कार्य मात्रा 126 मी. का भुगतान मापन पुस्तिका सं0 295 पृष्ठ 35 पर 40 रु. प्रति मीटर पार्ट रेट्(पूर्ण दर 45/=रु. प्रति मीटर) की दर से किया गया था । उपरोक्त कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 295 पृष्ठ 32 पर दर्ज थी इन रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि जोड़ों में गलती के कारण कार्य मात्रा 122 मीटर के स्थान पर 126 मीटर दर्शाई गई थी जिसके फलस्वरूप संविदाकार को 4 मीटर कार्य मात्रा के लिए 45रुपये प्रति मीटर की दर से राशि 180रुपये का अधिक भुगतान किया गया था ।

(ग) आठवें बिल की मद संख्या: 15/15 एरा वल्व हैड फिटिंग से सम्बन्धित कार्य मात्रा 65 नं. का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 295 पृष्ठ 37 पर मु0 125रुपये प्रति की दर से किया गया था का कार्य की मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 295 के पृष्ठ 32 पर दर्ज थी । इन रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि जोड़ों में गलती के कारण कार्य मात्रा 64 नं. के स्थान पर 65 नं. दर्शाई गई थी जिसके फलस्वरूप संविदाकार को एक नं. कार्य मात्रा के लिए 125 रुपये की दर से राशि 125.00रुपये का अधिक भुगतान किया गया था ।

(घ) उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित टेन्डर, केस फाईल लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में तुलनात्मक विवरण की जाँच नहीं की जा सकी । अतः टेण्डर केस फाइल आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

50. कार्य का नाम : आवासीय काम्पलेक्स धर्मशाला(नजदीक सिरमुर में 24 नं. टाईप सी फ्लेट में विद्युतीकरण का कार्य करना ।

संविदाकार का नाम : मै. के.के. कन्सट्रक्शन ।

अनुबन्ध संख्या: 9 वर्ष 1996-97

उपरोक्त कार्य के प्रथम चालू बिल से पांचवें चालू बिल तक किये गये कार्य की विस्तृत जाँच की गई ।

पांचवें बिल की मद संख्या 14/15 द्वारा फेन बाक्स (फेन हुक) से सम्बन्धित कार्य मात्रा 168 नं. का भुगतान 60रूपये प्रति फेन बाक्स की दर से मापन पुस्तिका संख्या 8 पृष्ठ 36 पर किया गया । उपरोक्त कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि कुल 168 नं. फेन प्वाईंट लगाये गये थे जिनमें से 96 नं. सीलिंग फेन से सम्बन्धित व 72 नं. ऐगजोस्ट फेन से सम्बन्धित थे ऐगजोस्ट फेन से सम्बन्धित जो फेन प्वाइंट लगाये गये थे उनमें फेन हुक नहीं लगाई जानी थी ।

उपरोक्त मामले में 168 नं. फेन पंवाईंट के लि 168 नं. फेन बाक्स (फेन हुक) लगाये गये दर्शाये गये थे । जबकि 96 सीलिंग पंख प्वाईंट के लिए 96 फेन बाक्स ही लगाये जाने थे अतः उपरोक्त मामले में 72 नं. (168.00-96.000) फेन बाक्स का कार्य मात्रा का 60रूपये प्रति फेन बाक्स की कार्य मात्रा का 60 रूपये प्रति फेन बाक्स की दर से राशि 4320.00रूपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली करना सुनिश्चित किया जाये ।

51. कार्य का नाम : आवासी कम्पलेक्स धर्मशाला के नजदीक सिरपुर में 24 नं. टाईप बी फ्लट में विद्युतीकरण का कार्य करना ।

संविदाकार का नाम : मै. के.के. इन्टरप्रीज

अनुबन्ध संख्या: 10 वर्ष 1996-97

वाउचर संख्या 42 माह 9/97 कुल 60400.00रूपये

---

उपरोक्त वाउचर द्वारा कार्य के तीसरे चालू बिल के दौरान किये गये कार्य के लिए संविदाकार मै. के.के. इन्टरप्राइजस को भुगतान किया गया था ।

तीसरे बिल की मद संख्या: 7×16 द्वारा फेन बाक्स से सम्बन्धित कार्य मात्रा 120 नं. का भुगतान 60रूपये प्रति फेन बाक्स की दर से मापन पुस्तिका संख्या 7 पृष्ठ 51 पर किया गया था । उपरोक्त बिल की मद संख्या 1(तीन) द्वारा 120 फेन पंवाईंट का कार्य मात्रा का भुगतान किया गया था जिनमें से 72 सीलिंग फेन व 48 ऐगजोस्ट फेन से सम्बन्धित थे ऐगजोस्ट फेन से सम्बन्धित पंवाईंट में फेन बाक्स (फेन हुक) नहीं लगाये जाने थे । उपरोक्त

कार्य में सीलिंग फैन व ब्रैकजोरट फैन फाईट होनों के लिए फैन बाक्स (फैन हुक) लगाये गये दर्शाये गये है जबकि सीलिंग फैन के लिए ही 72 नं. फैन हुक (फैन बाक्स) लगाये जाने है जबकि 120 नं. फैन बाक्स लगाये गये है जिसके फलस्वरूप 48 नं. फैन बाक्स के भिन्नके के लिए 60रूपये प्रति फैन बाक्स की दर से राशि 2880रूपये का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाये।

पैरा 52. कार्य का नाम : आयातीय कम्पलेक्स धर्मशाला के नजदीक तिपुर में 16 नं. टाईप (ए) 8 नं. टाईप बी व 8 नं. टाईप सी क्वाटरों में विद्युतीकरण का कार्य करना।

संविदाकार का नाम : मै. के.के. कन्सट्रक्शन।

अनुबन्ध संख्या: 11 वर्ष 1996-97

वाउचर संख्या 40 माह 9/97 कुल 78200.00रूपये

उपरोक्त वाउचर द्वारा कार्य के तीसरे रनिंग बिल का भुगतान संविदाकार मै. के.के. कन्सट्रक्शन को किया गया। बिल की मद संख्या 7/17 द्वारा फैन बाक्स (फैन हुक) से सम्बन्धित कार्य मात्रा 120 नं. का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 7 पृष्ठ 56 द्वारा कुल 80 रूपये प्रति फैन बाक्स की दर से किया गया। उपरोक्त कार्य के अन्तिम बिल में नं. फैन बाक्स का भुगतान 60रूपये प्रति फैन बाक्स की दर से किया गया था उपरोक्त कार्य में 72 सीलिंग फैन लगाये जाने है तथा 72 ब्रैकजोरट फैन लगाये जाने है जिसके अनुसार 72 नं. फैन बाक्स का भुगतान किया जाना था जबकि 144 नं. फैन बाक्स का भुगतान किया गया था। अतः 72 नं. (144.00-72.00नं.) फैन बाक्स की कार्य मात्रा का 60 रूपये प्रति फैन बाक्स की दर से संविदाकार को राशि 4320रूपये का अधिक भुगतान किया गया था अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय दिखाई जाये।

कुल 45.75रूपये का अधिक भुगतान।

53. वाउचर संख्या 1 दिनांक 5.3.98 कुल 5179.00रूपये

उपरोक्त वाउचर द्वारा मस्टरोल संख्या 78 के विरुद्ध ... ...145.

व श्री सुरेश कुमार वेलदारों को 1.2.98 से 29.2.98 तक भुगतान किया गया था। श्री कौर सिंह वेलदार माह फरवरी 98 में दिनांक 25.2.98 से 29.2.98 तक अनुपस्थित था। श्री कौर सिंह को दिनांक 28.2.98 को चुनाव अवकाश होने के कारण दिनांक 28.2.98 के दैनिक वेतन का भुगतान किया गया था। जबकि उन्हें दिनांक 25.2.98 से 29.2.98 तक अनुपस्थित होने के कारण श्री कौर सिंह वेलदार को दिनांक 28.2.98 के दैनिक वेतन का भुगतान नहीं किया जा सकता था अतः दिनांक 28.2.98 के दैनिक वेतन मु0 45.75रूपये की वसूली श्री कौर सिंह से सुनिश्चित की जाये।

पैरा 54. मुख्यप्रशासक के कार्यालय आदेश संख्या: एन.बी.सी.प्रशासन/एडमिन/96-1226-36 दिनांक 1.3.96 द्वारा सहायक अभियन्ता (विद्युत) अधिशासी अभियन्ता की शक्तियाँ प्रदान की गई थी वित्तीय शक्तियों की अनुसूची के क्रम संख्या 11(बी) के अनुसार अधिशासी अभियन्ता खुले बाजार से प्रति मद 5000 रूपये की खरीद कर सकते थे। लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि सहायक अभियन्ता (विद्युत) जिन्हें अधिशासी अभियन्ता की शक्तियाँ प्रदान की गई थी द्वारा वर्ष 1997-98 के दौरान प्रति मद 5000रूपये से अधिक की खरीद की गई थी इस प्रकार के कुछ उदाहरण नीचे दिये गये है। शक्तियों का दुरुपयोग करते हुये खुले बाजार से प्रति मद 5000रूपये से अधिक का क्रय करने बारे स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

| क्र.सं. | दिनांक | राशि(रु.) | 5000 रु. अधिक राशि की क्रय की गई मद का नाम | मात्रा | राशि(रु.) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27.3.98 | 10101.00 | एल.पी.एन.63 एमपेयर 415 रोलर | 6 न. | 5100 + 11% बिक्री कर | |
| | 27.3.98 | 10193.00 | रूम हीटर हवल रोड 4 मीटर तार सहित। | 10न. | 6950 + 5% बिक्री कर | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27.3.98 | 5828.00 | अनआरमड केबल 70 एम एम वर्ग x3½ से.मी. | 5250.00 + 1191.– कर |
| 27.3.98 | 32594.00 | (1) एस.वी.एल. फिटिंग 125 वाट । | 12218.00 |
| | | (2) एस.वी.एल. फीटिंग 250 वाट | 16757.00 |

पैरा 55. <u>ऊंची दरों पर वस्तुओं की खरीद :</u>

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि विभिन्न वस्तुओं की खरीद दर संविदा की दरों पर न करके खुले बाजार से कुटेशन के माध्यम से की गई थी जो कि दर संविदा की दरों से अधिक दरों पर की गई थी । जिसका विवरण नीचे दिया गया है अतः दर संविदा की दरों से अधिक दरों पर वस्तुओं क्रय करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व अधिक भुगतान की गई राशि रु0—472.41 रुपये की उचित माध्यम से वसूली करके जमा की जाये तथा भविष्य में दर संविदा के आधार पर खरीद की जानी सुनिश्चित की जाये । इसके अतिरिक्त अन्य मदों की खुले बाजार से क्रय करने पर हुई हानि की अपने स्तर पर गणना करके अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सुनिश्चित की जाये ।

...... 147.

| क्रय की गई मद | वाउचर सं. एवं दिनांक | | मात्रा | लिया गया रेट | भुगतान की गई राशि | सुविदा में दी गई दर | जो राशि भुगतान की जानी थी | अधिक भुगतान | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| वायर पॉक 40 वाट | 48 | 26.9.97 | 1 | 155 | 155 | 92.07 | 92.07 | 62.93 | |
| | 51 | 26.9.97 | 1 | 155 | 155 | 92.07 | 92.07 | 62.93 | 5- / -3 |
| वायर पॉक 20 वाट | 45 | 31.3.98 | 1 | 165 | 165 | 92.07 | 92.07 | 72.93 | (-10) 55/97 |
| | 46 | 31.3.98 | 1 | 165 | 165 | 92.07 | 92.07 | 72.93 | |
| ट्यूब रॉड | 48 | 26.9.97 | 1 | 43 | 43 | 32.40 | 32.40 | 10.60 | 4- / -3 |
| ट्यूब रॉड 20 वाट | 44 | 31.3.98 | 4 | 44 | 176 | 31.50 | 126.00 | 50.00 | (-10) 55/97 |
| स्टार्टर | 51 | 26.9.97 | 6 | 7 | 42 | 3.69 | 22.14 | 19.86 | |
| | 44 | 31.3.98 | 2 | 10 | 20 | 3.69 | 7.38 | 12.62 | 4- / -3 |
| | 45 | 31.3.98 | 3 | 10 | 30 | 3.69 | 11.07 | 18.93 | (-10) 92/95 |
| बल्ब 60 वाट | 53 | 26.9.97 | 8 | 12 | 96 | 7.74 | 61.92 | 34.08 | 4- / -3) -10) 55/97 |
| एम.वा. लैम्प 125 वाट | 31 | 27.3.98 | 7 | 141 | 987 | 133.20 | 932.40 | 54.60 | 4- /- -3) -10) 92/95 |
| | | | | | | | | 472.41 | |

**पैरा 56. गौण आपत्ति विवरणिका :-** समस्त गौण आपत्तियों का निपटारा स्थल पर ही कर लिया गया । अतः कोई गौण आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई ।

**पैरा 57. निष्कर्ष :-** लेखाओं का रख-रखाव सामान्यतः संतोषजनक नहीं पाया गया । गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष अनुच्छेदों के निपटारे हेतु व गम्भीर आपत्तियों के समस्त प्रकरणों पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है ।

परीक्षक,
स्थानीय निधि लेखा,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.